



महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन

२०७७

कमलबजार नगरपालिका

अद्धाम



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौँ, नेपाल



महालेखापरीक्षणको कार्यालय
Office of the Auditor General

प्रदेश नं.५, कर्णाली संसदिय प्रदेश लेखापरीक्षण
महानिवासलालय
 २०१६

Phone : 4258174

4266034

4255707

A.G.Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल

Babar Mahal,
 Kathmandu, Nepal

पत्र संख्या: २०७६/७७

च.नं.

मिति: २०७७/३/२४

श्री नगर प्रमुखज्यू
 कमलबजार नगरपालिका,
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, अछाम ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारवाहीको लागि अनुरोध छ ।


.....८०८६१२/२५

(चन्द्रकान्त भण्डारी)

नायव महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको भनाई

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्यिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।



(टंकमणि शर्मा, दंगाल)
महालेखापरीक्षक

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीयतह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र निकायसंग सम्बन्धित ऐन नियम समेतको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्यहरूमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एंवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता एंवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुभाव प्रस्तुत गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भए पश्चात जारी प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुभावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मितव्यिता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न सहयोग पुनर्न अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहमा प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय र राजश्व वाँडफाँडको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आयतर्फ संकलन न्यून रहेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अवण्डा बजेट राखेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, अत्यधिक प्रशासनिक खर्च गरेको, वितरणमुखी खर्चको बाहुल्यता रहेको जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माण तर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छनौट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तोकिए बमोजिम जनसहभागिता नजुटेको, दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, दीर्घकालिन विकासको खाका तर्जुमा नभएको जस्ता समस्या रहेका छन् । स्थानीयतहको आन्तरिक व्यवस्थापन तर्फ आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको कमी रहेको, सेवाप्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, श्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, संचालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, लेखांकन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । गतविगतमा लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू सुधार तथा बेरुजु उपर अपेक्षित रूपमा आवश्यक कारबाही भए गरेको समेत देखिएन ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको वावजुद यथासम्भव स्थानीयतहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भै लेखापरीक्षण गर्ने प्रयास गरिएको थियो । लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीयतहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको थियो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार हुने, भौतिक पूर्वाधार र सेवाप्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । आगामी दिनमा समेत यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।



महालेखापरीक्षणको कार्यालय
Office of the Inspector General

प्रदेश नं.५, कर्णाली सुनुवाइ नम्बर प्रदेश लेखापरीक्षण
महानिकायालय
 २०१६

Phone : 4258174
 4266034
 4255707
 A.G.Fax : 977-1-4268309
 Fax : 977-1-4262798
 Post Box : 13328
 बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
**Babar Mahal,
Kathmandu, Nepal**

पत्र संख्या : २०७६।७७

च.नं :

श्री नगर प्रमुख ज्यू
 कमलबजार नगरपालिका,
 अछाम ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

कैफियत सहितको राय

हामीले कमलबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६।७६ को वित्तीय विवरण र त्यससंग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेश भएको २०७६ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७६।७६ को वित्तीय विवरण र त्यससंग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसंग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम सारभूत रूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

१. पालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
२. लेखापरीक्षणबाट ३ करोड ६२ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.४७ लाख ६३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. २ करोड ५१ लाख ०७ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.५४ लाख ६० हजार र पेशकी बाँकी ०९ लाख १० हजार हजार रहेको छ ।
३. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरुका सम्बन्धमा मिति २०७६।१२।०४ मा जारी गरिएको प्रारम्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रिया सहित विभिन्न १ दफाको रु. १९ लाख ५० हजार हजार असुल फछ्यौट भई प्रमाण कागजात पेश हुन आएकोले उक्त दफा प्रारम्भक प्रतिवेदनबाट हटाइएको छ । अन्य दफा बेरुजु फछ्यौट नभई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २८ (अट्टाइस) यसैसाथ संलग्न छ ।
४. आमदानी तथा खर्चको स्रोत नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसंग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि स्वीकृत आचार संहिता अनुसार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसार्जी वा अन्य गलिका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी पालिका

व्यवस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्यपालिका, नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनको लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्ति समेतका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित रहेको होस् भनि उचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्वस्तताले सामान्यस्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून वमोजिम लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ति पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुँदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने अर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विषेश वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तिलाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।

२०८६/१२/२५
(चन्द्रकान्त भण्डारी)

नायव महालेखापरीक्षक

कमलबजार नगरपालिका, अछाम
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७५।७६

परिचय : स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गरी स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्रोत साधन सङ्गलन र परिचालन गरी विकास निर्माण लगायतको काम गर्न जनताको सहभागितामा आधारिता दिगो विकासको लाभ समतामूलक तरिकाले उपभोग गर्ने कार्यको लागि यस गाँउपालिकाको स्थापना भएको हो । नेपाल सरकार एवं स्थानीय तहमै उपलब्ध हुने स्रोत साधानको अधिकतम उपयोग गरी योजनावद्व सहभागितामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी सामाजिक आर्थिक तथा भौतिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु स्थानीय तहको मूल्य उद्देश्य रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित यो नगरपालिका अन्तर्गत वडा १०, १२०.७८ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल र २३७३८ जनसंख्या रहेको छ ।

स्थानीय संचितकोष : आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को स्थानीय संचितकोषको संक्षिप्त अवस्था निम्न वर्णनमा दिइएको छ ।

| आयतर्फ | | | | व्ययतर्फ | | | |
|--------|--------------------------------|-------------|--------------|----------|---------------------------|--------------|-------------|
| सि.नं | विवरण | रकम | रकम | सि.नं | विवरण | रकम | रकम |
| १ | गत वर्षको जिम्मेवारी | ० | ३७६४३९९.६९ | १ | चालु खर्च | ३११२१५८१७.९० | ३११२१५८१७.९ |
| | क) नगद | ० | ० | २ | पूँजीगत खर्च | १६९७६९९८७ | १६९७६९९८७ |
| | ख) बैंक | ३७६४३९९.६९ | ० | ३ | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी | ० | ० |
| २ | राजस्व (आन्तरिक आय) | ० | ६०१६५७५१.५५ | | क) ऋण भुक्तानी | ० | ० |
| | क) आन्तरिक राजस्व | ३६३०९४६.९० | ० | | ख) व्याज भुक्तानी | ० | ० |
| | ख) राजस्व बाँडफाँड | ५६५३४८०४.६५ | ० | | ग) अन्य भुक्तानी | ० | ० |
| | ग) अन्य आय | ० | ० | ४ | लगानी | ० | ० |
| ३ | वित्तीय हस्तान्तरण | ० | २९५४६८६००.०० | | ऋण लगानी | ० | ० |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | ८३८०००००.०० | ० | | शेयर लगानी | ० | ० |
| | ख) संशर्त अनुदान | १८९८६६००.०० | ० | | अन्य लगानी | ० | ० |
| | ग) सम्पूरक अनुदान | १४८०००००.०० | ० | ५ | धरौटी फिर्ता | ६५६७३६.०० | ६५६७३६.०० |
| | घ) विशेष अनुदान | १५००००००.०० | ० | ६ | कोष खर्च | ० | ० |
| ४ | प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान | | १८०६००००.०० | ७ | मौज्दात | ..०० | ० |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | ६७७२०००.०० | ० | | क) नगद मौज्दात | ० | १४०९०५१२.८७ |
| | ख) संशर्त अनुदान | ०.०० | ० | | ख) बैंक मौज्दात (मुलखाता) | ११७२६७४७.८७ | ० |
| | ग) सम्पूरक अनुदान | ३७८८०००.०० | ० | | धरौटी | २३६३७६५.०० | ० |
| | घ) विशेष अनुदान | ७५०००००.०० | ० | | | ० | ० |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|--|-------|--------------|--------------|
| ५ | अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त | ० | ० | | | ० | ० |
| ६ | वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति | ० | ० | | | ० | ० |
| | क) ऋण प्राप्ति | ० | ० | | | ० | ० |
| | ख) साँचा प्राप्ति | ० | ० | | | ० | ० |
| | ग) व्याज प्राप्ति | ० | ० | | | ० | ० |
| | घ) अन्य प्राप्ति | ० | ० | | | ० | ० |
| ८ | विभिन्न कोषतरफ्को आय | १४३८६००.०० | १४३८६००.०० | | | ० | ० |
| ८ | जनसहभागिता (नगद) | ० | ० | | | ० | ० |
| ९ | विषयगत निकायबाट प्राप्त रकम | ७२९८५०००.०० | ७२९८५०००.०० | | | ० | ० |
| १० | घरैटी आय | ३०२०५०९.०० | ३०२०५०९.०० | | | ० | ० |
| ११ | लगानीको साँचा किर्ता | ० | ० | | | ० | ० |
| १२ | अन्य विविध आय | ७४२९४०९.६१ | ७४२९४०९.६१ | | | ० | ० |
| १३ | अप्रिम आय कर दाखिला बाँकी | | | | | ० | ० |
| | जम्मा | ४९५७३२२५३.७७ | ४९५७३२२५३.७७ | | जम्मा | ४९५७३२२५३.७७ | ४९५७३२२५३.७७ |

राजस्वतर्फँ :

| शिर्षक नं. | लगत हसबली समेत | असुली | दाखिला | बाँकी | | कैफियत |
|------------|----------------|-------|-----------|-------|-----|--------|
| | | | | नगद | लगत | |
| — | ५९८०५५.०० | ०.०० | ५९८०५५.०० | - | - | |

| दफा नं | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | रकम |
|--------|--|-----|
| | वित्तिय लेखापरिक्षणबाट देखिएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन् : | |
| १. | बैंक मौज्जात : यस वर्षको अन्तमा श्रेस्ता अनुसार बैंक मौज्जात धरौटी बाहेक रु ११७२६७४७८७ दर्छ। देखिएकोमा बैंक समायोजन विवरण तयार गर्नुपर्दछ। | |
| २. | प्रोदभावी लेखा : नगरपालिकाको लेखा दोहोरो श्रेस्ता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित प्रोदभावी लेखा राख्नु पर्नेमा सो अनुसार लेखा राखेकाले वित्तिय विवरणले वास्तविक सम्पति र दायित्वको स्थिति देखाउदैन भने शीर्षकगत खर्चको स्थिति समेत मुल्यांकन गर्न सकिने स्थिति देखिएन। अतः प्रोदभावी लेखाप्रणाली अबलम्बन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। | |
| ३. | बेलायत सरकार साझै भुक्तानी : बेलायत सरकार साझै भुक्तानी अनुदानको रु १०००००००१०० आयतर्फ सशर्त अनुदान (संघीय सरकार) मा रु १८१८८६००१०० मा समावेश गरि खर्चतर्फ सशर्त अनुदान संघीय सरकार पूँजिगत तथा चालुतर्फको कुल खर्च रु १८०२९७७२८९० खर्चमा समेत रु १,००,००,०००१०० देखाई आय व्यय विवरण पेश गरेकोमा सो साझै भुक्तनीतर्फको रु १ करोडको लेखापरिक्षण गरिएको छैन। | |
| ४. | वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा : स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सदस्यीय वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण, विषयक्षेत्रगत कार्यक्रम र कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिन कार्यक्रमको आपसि तादात्म्यता तथा परिपुरकता मिलाउने व्यवस्था छ। नगरपालिकाले सो अनुसार कार्य गरेको छैन। अतः तोकिएअनुरूपको प्रक्रिया मिलाइ कार्यक्रम तयार गर्नुपर्दछ। | |
| ५. | श्रोत अनुमान तथा वजेट सिमा : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ वमोजिम नगरपालीकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व वाँडफाँडवाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र वजेट सिमा निर्धारण गर्न ४ सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था छ। उक्त समितिले आयको प्रक्षेपण, सन्तुलीत वितरण, वजेट सिमा निर्धारण, वजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण, वजेट तर्जुमा मार्गदर्शन गर्नुपर्ने र कार्यपालीकामा पेश गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो अनुसार पेश गरेको देखिएन। | |
| ६. | कर तथा आन्तरिक स्रोत : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५४ वमोजिम नगरपालिकाको वित्तिय अधिकार क्षेत्रमा कानून बमोजिम बाहेक नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा १०२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र प्रकाशन नभएसम्म लागु नहुने उल्लेख छ। नगरपालिकाले यो वर्षआन्तरिक | |

| | | |
|-----|---|--|
| | श्रोतको रूपमा रु.३७२४५००।०० आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखेकोमा रु.१८९२३९६।०० कर असूली गरेको देखिन्छ । ऐन वनाई राजपत्रमा प्रकाशन नहुँदै कर दस्तुर समेत असूल गर्नु कानून सम्मत देखिएन । अतः कानून वनाई असूल गर्ने परिपाटी विकसित गर्नुपर्दछ । | |
| ७. | योजना वनाई कार्यान्वयन : स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानियस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय, क्षेत्रगत मध्यकालिन तथा दीर्घकालीन विकास योजना वनाई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले विषय क्षेत्रगत, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना वनाएको देखिएन । अतः योजना वनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । | |
| ८. | स्थानिय राजस्व परामर्श समिति : स्थानिय सरकार संचालन ऐनको दफा ६५ बमोजिम नगरपालिकामा राजस्व सम्बन्धी परामर्शको लागि स्थानिय राजस्व परामर्श समिति रहने व्यवस्था अन्तर्गत राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ६५(२) मा राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र तोकेको देखियो । ऐनको दफा ६५ को उपदफा २ मा समितिले राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने, राजस्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगमी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने, राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने, रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने जस्ता अधिकार एवं काम, कर्तव्य तोकेको देखिन्छ । ऐनको व्यवस्था बमोजिमको काम, कर्तव्य गरेको देखिएन । अतः समितिले सो अनुरूप कार्य गर्नुपर्दछ । | |
| ९. | श्रोत अनुमान र बजेट निर्धारण समिती : स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, दफा ६७ मा श्रोत अनुमान र बजेट निर्धारण समिति गठनको प्रावधान बमोजिम समिति गठन गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा ६७(२) मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनको दफा ६६(३) मा श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको काम कर्तव्य तोकिएको भएतापनि समिति गठन पश्चात ति समितिहरूले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्य गरेको देखिएन । अतः समितिहरूले ऐनको व्यवस्था अनुरूप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |
| | नियमिततातर्फको लेखापरिक्षणबाट देखिएको व्यहोरा देहाय बमोजिम छन् : | |
| १०. | खर्च गर्ने अखिलयारी र कार्यविधि : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम सभावाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिन भित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अखिलयारी प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यस वर्ष नगरपालिकाको प्रमुखबाट प्रमुख | |

| | | |
|-----|--|--|
| | प्रशासकिय अधिकृतलाई खर्च गर्ने अखिलयारी दिएको पाइएन । अतः अखिलयारी दिई खर्च गर्नुपर्दछ । | |
| ११. | स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख : स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमोजिम नगरपालीकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालीकाले स्थानीय तथ्यांक सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको छैन । स्थानीय तहका हरेक प्राथमिककरणका क्रियाकलाप संचालनमा तथ्यांकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अभिलेख राख्ने कार्यमा भूमिका अगाडि वढाउन आवश्यक छ । तथ्यांक वेगर प्राथमिकतामा राखिएका योजना, वजेट, प्रक्रिया र कार्यावन्यनले उचित सार्थकता नपाउने हुदा यस तर्फ नगरपालीकाले अभिलेख व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । | |
| १२. | न्यायिक समितिको वार्षिक विवरण : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५३(२) वमोजिम नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्बन्धित सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो समितिले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्बन्धित सभामा पेश गरेको छैन । अतः नगरसभामा पेश गर्नुपर्दछ । | |
| १३. | नक्सा पास : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ । नगरपालिकाले यो वर्ष नक्सा पास गरेको देखिएन । तसर्थ नक्सा पास गराई भवन निर्माण गराउने तर्फ पहल गरिनु पर्दछ । | |
| १४. | ऐन, नियम, कार्यविधि निर्माण : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ वमोजिम नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन वनाउन सक्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाबाट विभिन्न विषयका ऐन, नियम, कार्यविधि बनाई मस्यौदामा छलफल गरेको भएतापनि पारीत भएको तथा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको स्थिति छैन । तसर्थ समयमा नै ऐन, कानून, नियम र कार्यविधि बनाइ लागू गर्नुपर्दछ । | |
| १५. | चौमासिक प्रगति : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) वमोजिम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले नगरपालिकाको कोषबाट खर्च भएको रकमको चौमासिक प्रगति त्यस्तो अवधि समाप्त भएको पन्थ दिन भित्र कार्यपालिकाको वैठकमा पेश गर्नु पर्नेमा पेश गरेको देखिएन । | |
| १६. | श्रोत नक्सांकन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ११ वमोजिम प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक श्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य श्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अभिलेख तथा श्रोत नक्सांकन वा नगरपालिकाको प्रोफाईल तयार गर्नुपर्नेमा सो तयार गरेको पाईएन । | |
| १७. | बक्यौता रकम असुली : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तिय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र बक्यौता रकम समेत असुली गर्ने व्यवस्था छ । | |

| | | |
|-----|--|--|
| | नगरपालिकाले गत विगत वर्ष देखिको वक्यौता असूली विवरण नराखेकोले वक्यौता हिसाव राखि अद्यावधिक गर्नु पर्दछ । | |
| १८. | <p>आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयवाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र दक्षतापुर्ण ढुंगावाट सम्पादन गर्न र वित्तिय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनिय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ-आफ्नो कामको प्रकृती अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि कार्यान्वयनमा त्याउनुपर्ने र उपदफा ३ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गर्नका लागि नगरप्रमुखले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको भएतापनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गरेको देखिएन । तसर्थ देहाय बमोजिमको व्यवस्थाद्वारा आन्तरिक नियन्त्रण एवं परिचालन गरिनुपर्दछ ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पुराना मालसमानको मूल्य नखुलेको, ● जिन्सी मालसमानको लिलाम/मर्मत नभएको ● पेशकी समयमा फछ्यौट नगरेको ● उद्देश्य प्राप्तीमा आई पर्ने सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान र सो निराकरणको लागि कार्यक्रम व्यवस्थित नगरेको ● वार्षिक खरिद योजना तयार नभएको, (सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८) ● सवारी साधनको लगबुक रीतपूर्वक नराखेको <p>कानूनको परिपालना पूर्णरूपमा नगरेको कारणले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको र सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएको हुँदा यथोचित व्यवस्थापनद्वारा कार्य सम्पादन/सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।</p> | |
| १९. | कार्यक्रम/योजना संचालनको लेखापरिक्षणबाट देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन् : | |
| २०. | लक्ष्य प्रगतिको स्थिति : चौमासिक प्रगती विवरण पेश गरि समिक्षा गर्नुपर्नेमा कार्यालयले सञ्चालन गरेका जिल्ला स्तरिय तथा केन्द्रिय स्तरिय आयोजनामध्ये सबै आयोजनाको उपर्युक्त नियम बमोजिम अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा प्रगती विवरण तयार नगरेकाले प्रगति समिक्षा भएको देखिएन । | |
| २१. | सशर्त अनुदान बचत रकम : आर्थिक कार्यविधि नियामावली, २०६४ को नियम ३३ बमोजिम सशर्त अनुदान तथा खर्च भई बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भनि तोकिएको बजेट उपशिर्षक तथा कार्यक्रमको रकम बचत भएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बाल विकास प्रोत्साहन र प्रदेश सांसद खानेपानी कार्यक्रममा रु २५६५०००१०० निकासा लिई खर्च रु | |

| | २२४१६३८०० गरिकोले रु ३२३३६२०० बचत रहेकोमा सो रकम फिर्ता नगरेकोले फिर्ता हुनुपर्ने रु | ३२३३६२.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|--|------|---------|----------|---------|---|--|-----------|--------|-------|----------|------|---|---|--------|--------|-------|-------|-------|---|----------------------------------|--------|--------|----|--------|----|---|--|---------|--------|-------|-------|-------|---|--------------------------------------|----------|-------|----|-------|----|---|--------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---|------------------------------|-----------|-------|-------|----------|-------|--|
| २२. | <p>उपभोक्ताको योगदान अंश : सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ बमोजिम उपभोक्ता समितीसँग गराउने निर्माण कार्यमा लागत अनुमान तयार गरि उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने अंश निर्धारण गरी सम्झौता गरेको हुन्छ । देहायको निर्माण कार्यको लागत अनुमान र लागत सहभागिताको स्थिती निम्न छन् ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सि.नं</th> <th rowspan="2">योजनाको नाम</th> <th rowspan="2">लागत अनुमान</th> <th colspan="4">खर्च व्यहोर्ने</th> </tr> <tr> <th>न.पा</th> <th>प्रतिशत</th> <th>उपभोक्ता</th> <th>प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>बडा नं ९ को रिनुरुप बाजाखेत खानेपानी उपभोक्त समिती</td> <td>२०३५९०/७७</td> <td>१९००००</td> <td>९३.३१</td> <td>१३५९०.७७</td> <td>६.६७</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>पदमासना आधारभूत विद्यालयमा ख्यविन कार्य</td> <td>२२९९०२</td> <td>१९००००</td> <td>८२.६५</td> <td>३९९०२</td> <td>१६.३५</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>गोरीखांद खिरेचौका वयाला मोटरबाटो</td> <td>७३१९२६</td> <td>६०००००</td> <td>८२</td> <td>१३१९२६</td> <td>१८</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>पनेरी खोला नाउलो निर्माण उपभोक्त समिती</td> <td>६२३२८/-</td> <td>१९००००</td> <td>७७.८९</td> <td>५३९१३</td> <td>२२.११</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>लडेघारा खानेपानी मर्मत उपभोक्त समिती</td> <td>६१६५४/००</td> <td>४७५००</td> <td>७७</td> <td>१४७५०</td> <td>२३</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>खोलेखोला नाउलो निर्माण उपभोक्त समिती</td> <td>६२३२८/-</td> <td>४७५००</td> <td>७६.२०</td> <td>१४८८८</td> <td>२३.८०</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>क्वाल्लेख खानेपानी योजना उ.स</td> <td>१२६३०२/३९</td> <td>९५०००</td> <td>७५.२१</td> <td>३१३०२.३९</td> <td>२४.७८</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त अनुसारका निर्माण कार्यहरूमध्ये खानेपानी निर्माणको लागी उपभोक्ताले लागत अनुमानको ६.६७ प्रतिशत देखि २४.७८ प्रतिशत सम्म व्यहोरेको देखियो भने नाउलो (कुवा) निर्माणमा २२ देखि २४ प्रतिशतसम्म व्यहोरेको देखियो । एक उपभोक्ता समिती र अर्को उपभोक्ता समितीसँग फरक फरक प्रतिशतमा लागत सहभागिताको प्रतिशत व्यहोरेकोले कार्यपालिकाले निर्माण कार्यको प्रकृति अनुसारको कार्य वर्गिकरण गरी समान काममा समान प्रतिशत लागत सहभागिता हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p> | सि.नं | योजनाको नाम | लागत अनुमान | खर्च व्यहोर्ने | | | | न.पा | प्रतिशत | उपभोक्ता | प्रतिशत | १ | बडा नं ९ को रिनुरुप बाजाखेत खानेपानी उपभोक्त समिती | २०३५९०/७७ | १९०००० | ९३.३१ | १३५९०.७७ | ६.६७ | २ | पदमासना आधारभूत विद्यालयमा ख्यविन कार्य | २२९९०२ | १९०००० | ८२.६५ | ३९९०२ | १६.३५ | ३ | गोरीखांद खिरेचौका वयाला मोटरबाटो | ७३१९२६ | ६००००० | ८२ | १३१९२६ | १८ | ४ | पनेरी खोला नाउलो निर्माण उपभोक्त समिती | ६२३२८/- | १९०००० | ७७.८९ | ५३९१३ | २२.११ | ५ | लडेघारा खानेपानी मर्मत उपभोक्त समिती | ६१६५४/०० | ४७५०० | ७७ | १४७५० | २३ | ६ | खोलेखोला नाउलो निर्माण उपभोक्त समिती | ६२३२८/- | ४७५०० | ७६.२० | १४८८८ | २३.८० | ७ | क्वाल्लेख खानेपानी योजना उ.स | १२६३०२/३९ | ९५००० | ७५.२१ | ३१३०२.३९ | २४.७८ | |
| सि.नं | योजनाको नाम | | | | लागत अनुमान | खर्च व्यहोर्ने | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | न.पा | प्रतिशत | उपभोक्ता | | प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | बडा नं ९ को रिनुरुप बाजाखेत खानेपानी उपभोक्त समिती | २०३५९०/७७ | १९०००० | ९३.३१ | १३५९०.७७ | ६.६७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | पदमासना आधारभूत विद्यालयमा ख्यविन कार्य | २२९९०२ | १९०००० | ८२.६५ | ३९९०२ | १६.३५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | गोरीखांद खिरेचौका वयाला मोटरबाटो | ७३१९२६ | ६००००० | ८२ | १३१९२६ | १८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | पनेरी खोला नाउलो निर्माण उपभोक्त समिती | ६२३२८/- | १९०००० | ७७.८९ | ५३९१३ | २२.११ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | लडेघारा खानेपानी मर्मत उपभोक्त समिती | ६१६५४/०० | ४७५०० | ७७ | १४७५० | २३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | खोलेखोला नाउलो निर्माण उपभोक्त समिती | ६२३२८/- | ४७५०० | ७६.२० | १४८८८ | २३.८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | क्वाल्लेख खानेपानी योजना उ.स | १२६३०२/३९ | ९५००० | ७५.२१ | ३१३०२.३९ | २४.७८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३. | <p>उपभोक्ता समितीलाई बढी भुक्तानी : सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहद्वारा गराइने निर्माण कार्य लागत अनुमानको आधारमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने अंश र उपभोक्ताले व्यहोर्ने अंश छुट्याई उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी कार्य गराएको हुन्छ । लागत अनुमानको आधारमा निर्माण सम्पन्न गरेपछि वास्तविक लागतको आधारमा सम्झौता बमोजिम सहभागितको अंश कार्यालय र उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्दछ । गो.भौ.नं २७, मिती २०७५।७।१४ बाट कात्यायानी मा.बि. भवन निर्माण उपभोक्ता समितीसँग रु२८०९६७८।०० को लागत अनुमान भै नगरपालिकाले ६०.५ प्रतिशत र उपभोक्ताले ३९.५ प्रतिशत लागत व्यहोर्ने गरि उपभोक्ता समितीसँग</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | सम्झौता गरेको देखिन्छ। कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार द१३०६२०० मा सम्पन्न गर्दा सम्झौताको साझेदारी दर अनुसार उपभोक्ता अंश रु ३२७१५९।४९ घटाई बाँकी रु ४९१९०२।५१ भुक्तानी गर्नुपर्ने मा रु ६६३०००।०० गरेवाट उपभेक्ता समितीलाई बढि भुक्तानी गरेको असुल हुनुपर्ने रु. | १७१०९७।४९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|---|--|--------|-------------|---|---------------------|--|-----------|--|---------------|--|-------------------------|---|--|---|---------------------|--------------------------|----------|--|----------|
| २४. | पाइप दाखिला एवम् प्राविधिक प्रतिवेदनः वडा नं ६ को वडा कार्यालयको सिफारिस बमोजिम धमला हार्डवेयर अर्डर एण्ड सप्लायर्सलाई २० एम्.एम्. को १० के.जी. एच.डि.पि पाइप खरिद बापत भुक्तानी गरेकोमा सो पाइप दाखिला एवं उपभोक्ता समितीलाई हस्तान्तरण गरेको भए हस्तान्तरण फारम र प्रयोग पुष्ट्याई हुने प्राविधिक प्रतिवेदन पेश नभएको रु | ७८७४४।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २५. | भौगोलिक क्षेत्र फरक पारि खर्च गरेको :स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ३ बमोजिम नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण हुने र दफा ५ बमोजिम वडाको सीमा निर्धारण हुने व्यवस्था छ। नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्रम र बजेट सोही भौगोलिक क्षेत्र भित्र खर्च गर्नु पर्दछ। निम्नानुसार भौत्तर नम्बर भित्र भौगोलिक सीमानाभन्दा अन्यत्र बजेट खर्च गरेकोले खर्च नियमित नदेखिएको रु। | ३७५०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं, मिती</th><th>कार्यक्रम</th><th>रकम</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>८३२०७४।१।२८</td><td>त्रिपुरासुन्दरी देवी मन्दिर धेरा पर्खाल निर्माण, तुम्चाँद गा.पा</td><td>२५०००.०</td><td>तुम्चाँद गा.पा को भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको।</td></tr> <tr> <td>२०७५।१।१७</td><td>वि.पी स्मृति भवन निर्माण, मंगलसेन</td><td>३०००००.०</td><td>मंगलसेन न.पा वडा नं ५ मा वि.पि स्मृति भवन निर्माणका लागी</td></tr> <tr> <td>५।२०७५।१।०।२०</td><td>सशस्त्र प्रहरी बल, साँफे गुल्म सि.सि.टि.भी जडान</td><td>५००००.०</td><td>साँफेवार न.पा. मा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल गुल्मलाई सहयोग।</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td>३७५०००.०</td><td></td></tr> </tbody> </table> | भौ.नं, मिती | कार्यक्रम | रकम | कैफियत | ८३२०७४।१।२८ | त्रिपुरासुन्दरी देवी मन्दिर धेरा पर्खाल निर्माण, तुम्चाँद गा.पा | २५०००.० | तुम्चाँद गा.पा को भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको। | २०७५।१।१७ | वि.पी स्मृति भवन निर्माण, मंगलसेन | ३०००००.० | मंगलसेन न.पा वडा नं ५ मा वि.पि स्मृति भवन निर्माणका लागी | ५।२०७५।१।०।२० | सशस्त्र प्रहरी बल, साँफे गुल्म सि.सि.टि.भी जडान | ५००००.० | साँफेवार न.पा. मा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल गुल्मलाई सहयोग। | | जम्मा | ३७५०००.० | | |
| भौ.नं, मिती | कार्यक्रम | रकम | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८३२०७४।१।२८ | त्रिपुरासुन्दरी देवी मन्दिर धेरा पर्खाल निर्माण, तुम्चाँद गा.पा | २५०००.० | तुम्चाँद गा.पा को भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०७५।१।१७ | वि.पी स्मृति भवन निर्माण, मंगलसेन | ३०००००.० | मंगलसेन न.पा वडा नं ५ मा वि.पि स्मृति भवन निर्माणका लागी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५।२०७५।१।०।२० | सशस्त्र प्रहरी बल, साँफे गुल्म सि.सि.टि.भी जडान | ५००००.० | साँफेवार न.पा. मा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल गुल्मलाई सहयोग। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ३७५०००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६. | वडाध्यक्षबाट भ्रमण आदेश स्वीकृतः स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७३ बमोजिम कार्यालयको दैनिक प्रशासन एवम् बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र बजेट खर्च गर्ने अखिलयारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रहेको छ। तदनुरूप गरिनुपर्दछ। नगरपालिकाले वडालाई बजेट संचालन गर्ने अखिलयारी दिएको अवस्था नभएकोले वडा अध्यक्षले आफ्नो भ्रमण आदेश आफैले स्वीकृत गर्ने, वडाका कर्मचारीको भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने कार्य गरेकोले खर्च नियमित नहुनाको साथै कानुन विपरित भ्रमण आदेश स्वीकृत गरि बजेट खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्ने रु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं, मिती</th><th>भ्रमण गर्ने कर्मचारी</th><th>भ्रमण अवधि</th><th>रकम</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१२६/२०७६।१।११</td><td>स.क.अ भानुभक्त ढकाल</td><td>२०७५।१।१ देखि २०७५।१।६</td><td>६०७५।००</td><td>वडा अध्यक्ष राम बहादुर शाहले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको।</td></tr> <tr> <td>१२६/२०७६।१।११</td><td>स.क.अ भानुभक्त ढकाल</td><td>२०७५।१।४ देखि २०७५।१।२०</td><td>७७५।००</td><td>वडा अध्यक्ष राम बहादुर शाहले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको।</td></tr> <tr> <td>१२६/२०७६।१।११</td><td>स.क.अ भानुभक्त ढकाल</td><td>२०७५।१।२२ देखि २०७५।१।२८</td><td>७७५।००</td><td>वडा अध्यक्ष राम बहादुर शाहले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको।</td></tr> </tbody> </table> | भौ.नं, मिती | भ्रमण गर्ने कर्मचारी | भ्रमण अवधि | रकम | कैफियत | १२६/२०७६।१।११ | स.क.अ भानुभक्त ढकाल | २०७५।१।१ देखि २०७५।१।६ | ६०७५।०० | वडा अध्यक्ष राम बहादुर शाहले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको। | १२६/२०७६।१।११ | स.क.अ भानुभक्त ढकाल | २०७५।१।४ देखि २०७५।१।२० | ७७५।०० | वडा अध्यक्ष राम बहादुर शाहले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको। | १२६/२०७६।१।११ | स.क.अ भानुभक्त ढकाल | २०७५।१।२२ देखि २०७५।१।२८ | ७७५।०० | वडा अध्यक्ष राम बहादुर शाहले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको। | ६३७३७।०० |
| भौ.नं, मिती | भ्रमण गर्ने कर्मचारी | भ्रमण अवधि | रकम | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२६/२०७६।१।११ | स.क.अ भानुभक्त ढकाल | २०७५।१।१ देखि २०७५।१।६ | ६०७५।०० | वडा अध्यक्ष राम बहादुर शाहले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको। | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२६/२०७६।१।११ | स.क.अ भानुभक्त ढकाल | २०७५।१।४ देखि २०७५।१।२० | ७७५।०० | वडा अध्यक्ष राम बहादुर शाहले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको। | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२६/२०७६।१।११ | स.क.अ भानुभक्त ढकाल | २०७५।१।२२ देखि २०७५।१।२८ | ७७५।०० | वडा अध्यक्ष राम बहादुर शाहले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको। | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|--|--|
| | १२६/२०७६१९११ | स.क.अ भानुभक्त ठकाल | २०७५।१०।१३ देखि २०७५।१०।२८ | ६५५०।०० | बडा अध्यक्ष राम बहादुर शाहले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको । | |
| | १२६/२०७६१९११ | स.क.अ भानुभक्त ठकाल | २०७५।८।१७ देखि २०७५।८।२३ | ७८८।०० | बडा अध्यक्ष राम बहादुर शाहले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको । | |
| | १२७/२०७६१९१२ | बडा अध्यक्ष राम बहादुर शाह | २०७५।१०।१५ देखि २० सम्म | १०४५।०० | भ्रमण आदेश स्वीकृत नभएको | |
| | १२७/२०७६१९१२ | बडा अध्यक्ष राम बहादुर शाह | २०७५।१।१२ देखि १६ सम्म | ६३७५।०० | आफैले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको | |
| | १२७/२०७६१९१२ | बडा अध्यक्ष राम बहादुर शाह | २०७५।१।२३ देखि ८ सम्म | ७८७५।०० | भ्रमण आदेश स्वीकृत नभएको | |
| | १२७/२०७६१९१२ | बडा अध्यक्ष राम बहादुर शाह | २०७५।१।२१।२ देखि १५ सम्म | ४८७५।०० | आफैले स्वीकृत गरेका | |
| | जम्मा | | | ६३७३।०० | | |

२७. अनुगमन प्रतिवेदनः भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम भ्रमणमा खटिने कर्मचारी वा पदाधिकारीले भ्रमणबाट फर्केपछि भ्रमण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भौचर नं १६०, मिती २०७६शाराहि उप प्रमुख भूमीशरण ढकाल (बजगाई) लाई निम्नानुसार मितीमा विभिन्न योजना अनुगमन गरेवापत रु ३२४००१०० भुक्तानी गरेकोमा कार्यालयले अनुगमन कार्ययोजना तयार नगरेको, अनुगमन चेकलिष्ट तयार तथा प्रयोग नगरेको, अनुगमन बाट देखिएको व्यहोराहरु कार्यालयमा पेश गरि तदानुसार नगरेकोले दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च नियमित एवम् पुष्टी हुन नसकेको रु

| योजना अनुगमन | भ्रमण गरेको स्थान | मिती | रकम |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------|
| विद्यालय योजना | विरपथ | २०७५/१२/१८-१२/२० | ४०५०/- |
| बाटो निर्माण | सेरा | २०७५/१२/२५-१२/२७ | ४०५०/- |
| बाटो निर्माण | विरपथ | २०७५/१२/२८-१२/३० | ४०५०/- |
| खा.पा. योजना अनुगमन | चाल्सो | २०७६/१/३-१/५ | ४०५०/- |
| कुलो अनुगमन | वयालो | २०७५/१/१५-१/१७ | ४०५०/- |
| विद्यालय बाटो अनुगमन | विरपथ | २०७६/१/३-१/५ | ४०५०/- |
| सा.सु. वितरण | सेरा | २०७५/१/१५-१/१७ | ४०५०/- |
| अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रममा सहभागी | मंगलसेन | २०७५/१/१५-१/१७ | ४०५०/- |
| जम्मा | | | ३२४००/- |

| <p>२८.</p> <p>सोभै खरिदः सार्वजनिक खरिद नियामवली, २०६४ को नियम ८५ बमोजिम सार्वजनिक निकायले रु ५ लाखसम्मको मालसामान सोभै खरिद गर्नसक्ने र नियम ८४ बमोजिम रु ५ लाख भन्दा माथी रु २० लाख सम्मको खरिद सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले १० वटा वडाहरुमा ई हाजिरी तथा इन्टरनेट सेवा जडान गर्न एकै प्याकेज बनाई सिलबन्दी दरभाउपत्रको आधारमा खरिद कार्य गर्न सकिनेमा १० पटक टुक्रा टुक्रा गरि एभ्रेष्ट नेटवर्क प्रा.लि. लाई रु १२७०९००।०० भुक्तानी गरेकोले खरिद कार्य मितव्ययी एवं प्रतिस्पर्धी नभएबाट खर्च अनियमित देखिएको रु</p> | १२७०९००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----|---------------|---|----------|---------------|--|----------|---------------|--|----------|--------------|---|----------|--------------|----------------------------------|----------|--------------|----------------------------------|----------|--------------|----------------------------------|----------|--------------|----------------------------------|----------|--------------|----------------------------------|----------|---------------|--|----------|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">भौ.नं, मिती</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">विवरण</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">१४०/२०७६/१/२२</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">वडा नं २ को वडा कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">११९२५०/-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">१४१/२०७६/१/२२</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">वडा नं १, स्वास्थ्य चौकी र शिशुवोधनी मा.वि</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">११७७५०/-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">१४२/२०७६/१/२२</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">वडा नं १० कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्या प्रवोधनी मा.वि</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">१२८२५०/-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">१५१/२०७६/२/१</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">वडा नं ४, पशुपती मा.वि र स्वास्थ्य चौकी</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">१२०७५०/-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">१५१/२०७६/२/१</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">वडा नं ९, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">११९८५०/-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">१५१/२०७६/२/१</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">वडा नं ७, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">१२५२५०/-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">१५१/२०७६/२/१</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">वडा नं ८, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">१२३७५०/-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">१५२/२०७६/२/१</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">वडा नं ६, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">१६९०००/-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">१५२/२०७६/२/१</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">वडा नं ३, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">१२३७५०/-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">२१७/२०७६/३/२७</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">वडा नं ५, महाकाली मा.वि र भुवनेश्वरी मा.वि</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">१२२५००/-</td></tr> </tbody> </table> | भौ.नं, मिती | विवरण | रकम | १४०/२०७६/१/२२ | वडा नं २ को वडा कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | ११९२५०/- | १४१/२०७६/१/२२ | वडा नं १, स्वास्थ्य चौकी र शिशुवोधनी मा.वि | ११७७५०/- | १४२/२०७६/१/२२ | वडा नं १० कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्या प्रवोधनी मा.वि | १२८२५०/- | १५१/२०७६/२/१ | वडा नं ४, पशुपती मा.वि र स्वास्थ्य चौकी | १२०७५०/- | १५१/२०७६/२/१ | वडा नं ९, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी | ११९८५०/- | १५१/२०७६/२/१ | वडा नं ७, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी | १२५२५०/- | १५१/२०७६/२/१ | वडा नं ८, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी | १२३७५०/- | १५२/२०७६/२/१ | वडा नं ६, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी | १६९०००/- | १५२/२०७६/२/१ | वडा नं ३, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी | १२३७५०/- | २१७/२०७६/३/२७ | वडा नं ५, महाकाली मा.वि र भुवनेश्वरी मा.वि | १२२५००/- | |
| भौ.नं, मिती | विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४०/२०७६/१/२२ | वडा नं २ को वडा कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | ११९२५०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४१/२०७६/१/२२ | वडा नं १, स्वास्थ्य चौकी र शिशुवोधनी मा.वि | ११७७५०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४२/२०७६/१/२२ | वडा नं १० कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्या प्रवोधनी मा.वि | १२८२५०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५१/२०७६/२/१ | वडा नं ४, पशुपती मा.वि र स्वास्थ्य चौकी | १२०७५०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५१/२०७६/२/१ | वडा नं ९, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी | ११९८५०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५१/२०७६/२/१ | वडा नं ७, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी | १२५२५०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५१/२०७६/२/१ | वडा नं ८, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी | १२३७५०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५२/२०७६/२/१ | वडा नं ६, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी | १६९०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५२/२०७६/२/१ | वडा नं ३, मा.वि र स्वास्थ्य चौकी | १२३७५०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१७/२०७६/३/२७ | वडा नं ५, महाकाली मा.वि र भुवनेश्वरी मा.वि | १२२५००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>२९.</p> <p>निर्माण कार्यको नापी सम्बन्धमा: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ बमोजिम सार्वजनिक निकायले प्राविधिक नापजाँच गरि नापी किताबमा उल्लेख गरेको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उपभोक्ता समिती मार्फत हुने निर्माण कार्यमा लागत अनुमान गरि उपभोक्ता समितीसँग लागत सहभागिताको आधारमा सम्झौता हुने गर्दछ। निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात् प्राविधिक नापी मूल्यांकनको आधारमा भुक्तानी गरिनुपर्दछ। नगरपालिकाले प्रायः सबै उपभोक्ता समितीमार्फत हुने निर्माण कार्यमा लागत अनुमान बराबर नै नापी तथा कार्यसम्पन्न तयार गरेको देखियो। लागत अनुमानको परिमाण बराबर कार्यसम्पन्न एवं नापी किताब तयार भई भुक्तानी भएबाट नापीको यर्थाथता एवम् वास्तविकता नरहन सक्ने हुन्छ। तसर्थ खुद काम भएको आधारमा नापी नगर्ने र लागत अनुमानकै अंक बराबर हुने गरि भुक्तानीको लागी सिफरिस गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई सबै योजनाको वास्तविक कामको छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ३०. | <p>कमलबजार नगरपालिका वडा नं ६ को ठाँटीखाँद जनाली सडक निर्माण : उक्त निर्माण कार्यको लागी कुल रु ४२,८९,०७७२५ लागत अनुमान गरी नगरपालिकाले रु ३६,१०,०००।०० र उपभोक्ता समितीले रु ६,७९,०७७५५ (१५.८४ प्रतिशत) लागत व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरेको देखिन्छ । विशेष अनुदान तर्फको बजेटबाट भौ.नं १, मिती २०७६।३।२६ मा कमलबजार न.पा को आ.व. २०७५।७६ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार वडा नं ६ को ठाँटीखाँद जनाली सडक निर्माण उपभोक्ता समितीसँग २०७६।३।१५ मा सम्झौता गरि निर्माण कार्य २०७६।३।२९ मा सम्पन्न गरेको प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा त्रिपत्री निर्माण सेवा, मंगलसेन, अछामको विजक अनुसार रु ३६,१०,०००।०० उपभोक्ता समिती मार्फत पेश भएको निर्माण सेवाको बिल रकम बराबर कार्यालयले भुक्तानी गरेबाट उपभोक्ता समिती विच भएको सम्झौता अनुसारको कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराउनु उपयुक्त भएन ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|----|-----|--------------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|--|--|--|-------|--------------|--|
| ३०। | <p>कार्यालयले पेश गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन रु ४२,८९,०७७।४५ उल्लेख गरेतापनि योजनामा पुरै लागत अनुमान तयार गर्दा मेशिनद्वारा गर्ने गरि ल.इ. तयार गरेको छ । लागत अनुमान बमोजिम परिमाण फरक नपारी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको छ । कार्य सम्पन्न परिमाण प्रमाणित गर्ने डोजरका पुरै बिल पेश हुनुपर्नेमा रु ३६,१०,०००।०० को मात्र बिल पेश गरेबाट उक्त योजनामा कुल रु ३६,१०,०००।०० बराबरको कार्य गरेको अवस्था रहेकोले उपभोक्ता समितीलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा, रु ३६,१०,०००।०० उपभोक्ता समितीले पेश गरेको बिल रकम भुक्तानी भएबाट रु ५७१।८४।०० बढि भुक्तानी गरेको देखियो । बिल भर्पाईको आधार बेगर प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई बास्तविकता यकिन गरी बढी भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने रु</p> | ५७१।८४।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१. | <p>कार्यसम्पन्न अवधि: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम उपभोक्ता समितीसँग सम्झौता गरि निर्माण कार्य गराउँदा तोकिए बमोजिमको अवधिमा कार्यसम्पन्न गराउनुपर्दछ । कमलबजार ढकारी सडक निर्माणको लागी रु ४१,२०,०००।०० को लागत अनुमान गरी कार्यालयले निम्नानुसार लागत अनुमान र सम्पन्न परिमाणको अवस्था उल्लेख गरेको छ । सम्झौता बमोजिम कार्यालयले रु ३५,१५,०००।०० भुक्तानी गरेको छ ।</p> <table border="1" data-bbox="262 1643 1286 1848"> <thead> <tr> <th>कार्य विवरण</th><th>लागत अनुमान</th><th>सम्पन्न परिमाण</th><th>दर</th><th>रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>रोड लेभलिङ्ग कार्य</td><td>२२५०० घ.मी.</td><td>२२५०० घ.मी.</td><td>१७।१०</td><td>३८।४७।०००</td></tr> <tr> <td>रि ग्रामेलिङ्ग एण्ड कम्प्याक्सन वर्क</td><td>३३७५ घ.मी.</td><td>३३७५ घ.मी.</td><td>११०।६।८७</td><td>३७।३५।६८।३०</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>जम्मा</td><td>४१,२०,०००।००</td></tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त अनुसार कुल कार्य ४१,२०,०००।०० को काम २०७६।३।१८ देखि शुरु गरी २०७६।३।२५</p> | कार्य विवरण | लागत अनुमान | सम्पन्न परिमाण | दर | रकम | रोड लेभलिङ्ग कार्य | २२५०० घ.मी. | २२५०० घ.मी. | १७।१० | ३८।४७।००० | रि ग्रामेलिङ्ग एण्ड कम्प्याक्सन वर्क | ३३७५ घ.मी. | ३३७५ घ.मी. | ११०।६।८७ | ३७।३५।६८।३० | | | | जम्मा | ४१,२०,०००।०० | |
| कार्य विवरण | लागत अनुमान | सम्पन्न परिमाण | दर | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| रोड लेभलिङ्ग कार्य | २२५०० घ.मी. | २२५०० घ.मी. | १७।१० | ३८।४७।००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| रि ग्रामेलिङ्ग एण्ड कम्प्याक्सन वर्क | ३३७५ घ.मी. | ३३७५ घ.मी. | ११०।६।८७ | ३७।३५।६८।३० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | जम्मा | ४१,२०,०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकोले ७ दिन कार्य अवधिमा उक्त कार्य सम्पन्नल गरेकोले कामको गुणस्तर यकिन हुन सकेन। तसर्थ, कार्यपरिमाण एवम् गुणस्तरको पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|---|-------|--------------|--------------|--|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--|
| ३२. | <p>लागत अनुमान टुक्रा पारि एकै व्यक्ति अध्यक्ष र निर्माण व्यवसायीबाट बोरिङ्ग निर्माण :कमलबजार नगर क्षेत्र तथा वरपरमा खानेपानी व्यवस्था गर्नको लागी निम्न बमोजिम लागत अनुमान तयार गरेको देखियो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा ८ मा प्रतिस्पर्धा सिमीत हुने गरि लागत अनुमान टुक्र्याउन नपाइने व्यवस्था छ। कार्यालयले निम्नानुसार श्रोत व्यवस्था गरि लागत अनुमान तयार गरेको देखियो।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>बजेट व्यवस्था</th><th>लागत अनुमान (मु.अ.कर सहित)</th><th>सम्पन्न रकम(मु.अ.कर सहित)</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सांसद विकास कोषबाट</td><td>४९,२९,९४४१००</td><td>४९,२९,९४४१००</td><td>उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष बल बहादुर कुँवर</td></tr> <tr> <td>विशेष अनुदानबाट</td><td>२६,६२,११५१६२</td><td>२५,७८,७५५६२</td><td>बल बहादुर कुँवर प्रोपराइटर प्रगतिशिल निर्माण सेवा</td></tr> <tr> <td>जम्मा</td><td>७५,९९,०५९१००</td><td>७५,९९,०५९१००</td><td></td></tr> <tr> <td>पम्प हाउस निर्माण</td><td>११,६६,८३०१००</td><td>११,६६,८३०१४५</td><td>उपभोक्ता समितीमार्फत</td></tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त अनुसार पम्प हाउस निर्माणको कार्य बाहेक एउटै प्याकेजको कामलाई उपभोक्ता समितीमार्फत गराउने गरी मु.अ.कर समेत रु ४९,२९,९४४१०० तथा ठेक्का बन्दोबस्तद्वारा रु २६,६२,११५१६२ को लागत अनुमान गरेको देखियो। उक्त निर्माण कार्य एउटै प्याकेजमा गर्न सकिनेमा दुई प्याकेज बनाई उपभोक्ता समिती र ठेकेदारबाट गराएको देखिन्छ। उक्त निर्माण कार्यमा एकै व्यक्तिले उपभोक्ता समितीको अध्यक्ष भै काम गरेको र सोही व्यक्ति प्रोपाइटर रहेको प्रगतिशिल निर्माण सेवाबाट पनि कार्य गराएकोले कार्यालयको खरिद व्यवस्थापन प्रक्रिया कमजोर एवम् प्रतिस्पर्धा समित हुने गरी खरिद कार्य गरेकोले नियमित नदेखिएको रु ७५,९९,०५९.०</p> | बजेट व्यवस्था | लागत अनुमान (मु.अ.कर सहित) | सम्पन्न रकम(मु.अ.कर सहित) | कैफियत | सांसद विकास कोषबाट | ४९,२९,९४४१०० | ४९,२९,९४४१०० | उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष बल बहादुर कुँवर | विशेष अनुदानबाट | २६,६२,११५१६२ | २५,७८,७५५६२ | बल बहादुर कुँवर प्रोपराइटर प्रगतिशिल निर्माण सेवा | जम्मा | ७५,९९,०५९१०० | ७५,९९,०५९१०० | | पम्प हाउस निर्माण | ११,६६,८३०१०० | ११,६६,८३०१४५ | उपभोक्ता समितीमार्फत | |
| बजेट व्यवस्था | लागत अनुमान (मु.अ.कर सहित) | सम्पन्न रकम(मु.अ.कर सहित) | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सांसद विकास कोषबाट | ४९,२९,९४४१०० | ४९,२९,९४४१०० | उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष बल बहादुर कुँवर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विशेष अनुदानबाट | २६,६२,११५१६२ | २५,७८,७५५६२ | बल बहादुर कुँवर प्रोपराइटर प्रगतिशिल निर्माण सेवा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | ७५,९९,०५९१०० | ७५,९९,०५९१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पम्प हाउस निर्माण | ११,६६,८३०१०० | ११,६६,८३०१४५ | उपभोक्ता समितीमार्फत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३. | <p>ठेक्का व्यवस्थापन : कार्यालयले लागत अनुमान तयार गर्ने, ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा निम्न बमोजिमका ठेक्का व्यवस्था आर्थिक वर्षको अन्तमा गरेको देखियो। आ.ब. को अन्तमा ठेक्का व्यवस्था हुँदा कार्यसम्पन्नमा ढिलाई हुने, ठेकेदारले वर्षामा सामग्री संकलन एवं ढुवानीमा समस्या रहने जस्ता कारण उल्लेख गरी पटक पटक म्याद थप माग गर्न सक्ने हुनाले प्रथम चौमासिक अवधिमा ठेक्का व्यवस्थापन हुनुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>योजनाको नाम</th><th>ल.इ.रकम (मु.अ.कर बाहेक)</th><th>सम्झौता रकम (मु.अ.कर बाहेक)</th><th>निर्माण व्यवसायी</th><th>भुक्तानी रकम</th><th>ठेक्का भएको</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कोरिला ढुङ्गाला</td><td>५०४९,७८८.०</td><td>४९,७२४६६.०</td><td>न्यू जाल्यादेवी</td><td>२५८९८३६.०</td><td></td></tr> </tbody> </table> | योजनाको नाम | ल.इ.रकम (मु.अ.कर बाहेक) | सम्झौता रकम (मु.अ.कर बाहेक) | निर्माण व्यवसायी | भुक्तानी रकम | ठेक्का भएको | कोरिला ढुङ्गाला | ५०४९,७८८.० | ४९,७२४६६.० | न्यू जाल्यादेवी | २५८९८३६.० | | | | | | | | | | |
| योजनाको नाम | ल.इ.रकम (मु.अ.कर बाहेक) | सम्झौता रकम (मु.अ.कर बाहेक) | निर्माण व्यवसायी | भुक्तानी रकम | ठेक्का भएको | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कोरिला ढुङ्गाला | ५०४९,७८८.० | ४९,७२४६६.० | न्यू जाल्यादेवी | २५८९८३६.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | कवालेख सडक | | | निर्माण सेवा | (प्रथम विल) | तेश्रो चौमासिक | |
|------|---|-----------|-----------|------------------------|---------------------------|----------------|----------|
| | मोटरबाटो मष्टामण्डली तान्ती सडक | ५०५४५२०.० | ५००६४००.० | ए.पि.जी इन्जिनियरिङ | २६४००४१.० (प्रथम विल) | तेश्रो चौमासिक | |
| | गौरीटाँड स्याउले मोटरबाटो | ५०१२०३४.० | ४९६९९३०.० | त्रिपत्री निर्माण सेवा | २४५६२८८.० (प्रथम विल) | तेश्रो चौमासिक | |
| ३४. | जग्गा खरिद : भौ.नं ४६ मिती २०७५।९।३० मा महाकाली माध्यामिक विद्यालयको लागी रु ९०००००।०० मा जग्गा खरिद बापत भुक्तानी गरेको देखियो । जग्गा खरिद विधि छनौट एवं जग्गाको मूल्य निर्धारणको आधार तथा संघियमामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र विपरित खरिद गरेको नियमित नदेखिएको रु | | | | | | ९०००००.० |
| ३५. | कमलबजार कर्वडहल निर्माण : कमलबजार वडा नं ८ चौकागडा कर्वडहल निर्माणको लागी रु १६४१६३७०।९७ मु.ह.अ.कर बाहेको कल लागत अनुमान भएको रहेछ । यो वर्ष विशेष अनुदानतर्फ व्यवस्था गरेको बजेट रु ६० लाख मध्येबाट मु.अ.कर सहित रु ५६,९७,४४९।००को लागत अनुमान भएको देखिन्छ । उक्त कार्य बोलपत्रद्वारा गराउँदा सबैभन्दा घटि अंक कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायी जनता निर्माण सेवासँग मू.अ.कर बाहेक रु ४९,६४,१३९।३८ को ठेक्का स्वीकृत गरेको देखियो । | | | | | | |
| ३५.१ | कार्यसम्पन्न अवधि: सार्वजनिक खरिद एने २०६३ को दफा ५२ बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पन्न गर्ने कार्यसम्पादन तालिका तथा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने सकिने नसकिने व्यहोरा खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १११ मा खरिद सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्ययोजना र कार्यतालिका तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्माण व्यवसायी जनता निर्माण सेवासँग २०७६ असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरि २०७६।२।२९ मा सम्झौता गरेको देखियो । मु.अ.कर सहित रु ५६,०९,४७३।८८ को ठेक्का एक महिनाको अवधिमा सम्पन्न हुने गरी सम्झौता गरेको देखियो । कार्य परिमाण सूची (Bill of Quantities) मा उल्लिखित कार्य गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरेको भएतापनि तोकिएको गुणस्तर एवं स्पेसिफिकेसन बमोजिम BOQ मा उल्लिखित पुरै कार्य परिमाण सम्पन्न भए नभएको छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | |
| ३५.२ | कार्यसम्पादन जमानत : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११० बमोजिम कार्य सम्पादन जमानतको मान्य अवधि निर्माण कार्यको त्रुटि सच्याउने दायित्वको अवधिभन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिको हुनुपर्ने उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्न अवधि २०७६ असार मसान्तसम्म रहेकोले त्यसको १३ महिना अर्थात २०७७ साउन मसान्त सम्मको हुनुपर्नेमा २०७७।३।३० सम्मको रु २८१०००।०० को जमानत रहेकोले जमानत म्याद बढाउनु पर्ने देखिएको छ । | | | | | | |

| | |
|-----------|--|
| ३६०८४२९.० | |
|-----------|--|

| | <table border="1"> <tr> <td>एच.डि.पि पाइप ५० एम.एम.१० के.जी</td><td>३३० मि.</td><td>९००१००</td><td>२९७०००१००</td><td></td></tr> <tr> <td>जि.आइ.पाइप</td><td>४४५५ मि.</td><td>१०००१००</td><td>७५०००१००</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>जम्मा</td><td>३१,९३,३००१००</td><td></td></tr> </table> <p>पेश भएको नापी किताब अनुसार एच.डि.पि. पाइप तथा फिटिङ्को कार्य लागत अनुमान अनुसार ५०६० मी पाइप लाइनको काम गर्नुपर्नेमा ४४५५ मी को कार्य बाँकी रहेकोले ६०५ मी पाइप लाइनको कार्य मात्र गरेको उल्लेख छ ।</p> | एच.डि.पि पाइप ५० एम.एम.१० के.जी | ३३० मि. | ९००१०० | २९७०००१०० | | जि.आइ.पाइप | ४४५५ मि. | १०००१०० | ७५०००१०० | | | | जम्मा | ३१,९३,३००१०० | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------|--------|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------|--------------------------|---------|--------|---------------|----------------------------|---------|--------|--|
| एच.डि.पि पाइप ५० एम.एम.१० के.जी | ३३० मि. | ९००१०० | २९७०००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जि.आइ.पाइप | ४४५५ मि. | १०००१०० | ७५०००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | ३१,९३,३००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३६.२ | मिती २०७६।११।१७ मा लेखापरिक्षणको क्रममा कमलबजार नजिकको २ वटा फेरोसिमेन्ट ट्याँकोमात्र निरिक्षण गर्दा ट्याँकी निर्माण भएको, डिप्टीव्युसन चेम्बरको काम तथा पाइप फिटिङ्को कार्य गरेको देखिएन । ठेक्का सम्झौता बमोजिमको अन्य निर्माण कार्यहरु तोकिएको परिमाण स्पेशिफिकेसन एवं गुणस्तर बमोजिमको भए नभएको पूरै छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३६.३ | कार्यसम्पादन जमानतः सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११० मा कार्यसम्पादन जमानतको मान्य अवधि निर्माण कार्यको त्रुटि सच्याउने दायित्वको अवधि भन्दा कम्तीमा एक महिना बढि अवधिको हुनुपर्ने उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्न अवधि २०७६ असार मसान्त रहेकोले त्यसको १३ महिना थपको जमानत लिनुपर्नेमा २०७६ असारको मात्र रहेकोले म्याद बढाउनुपर्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३७. | करकट्टी दाखिला : आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कट्टी भएका विभिन्न करहरु नेपाल सरकारको राजश्व खातामा दाखिला हुनुपर्नेमा, तपशिल बमोजिमका व्यक्तिहरुले विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दा करकट्टी गरी दाखिला नगरेकोले असुल गरी दाखिला हुनुपर्ने रु | २११६५.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.न.मिती</th><th>व्यक्तिको नाम</th><th>करको प्रकार</th><th>रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१२/ २०७५।१।२५</td><td>डम्मरा साउद</td><td>पारिश्रमिक कर</td><td>५२६५।००</td></tr> <tr> <td>१२/ २०७५।१।२५</td><td>डम्मरा साउद</td><td>बहाल कर</td><td>९००।००</td></tr> <tr> <td>१४/ २०७५।१।२७</td><td>पवित्रा भण्डारी</td><td>पारिश्रमिक कर</td><td>६३०।००</td></tr> <tr> <td>११/ २०७५।१।२४</td><td>लेग बा नेपाली(गाडी चालक)</td><td>बहाल कर</td><td>३५०।००</td></tr> <tr> <td>१९/ २०७६।३।२६</td><td>काशिराम बज्राई (गाडी शाहू)</td><td>बहाल कर</td><td>५२०।००</td></tr> </tbody> </table> | गो.भौ.न.मिती | व्यक्तिको नाम | करको प्रकार | रकम | १२/ २०७५।१।२५ | डम्मरा साउद | पारिश्रमिक कर | ५२६५।०० | १२/ २०७५।१।२५ | डम्मरा साउद | बहाल कर | ९००।०० | १४/ २०७५।१।२७ | पवित्रा भण्डारी | पारिश्रमिक कर | ६३०।०० | ११/ २०७५।१।२४ | लेग बा नेपाली(गाडी चालक) | बहाल कर | ३५०।०० | १९/ २०७६।३।२६ | काशिराम बज्राई (गाडी शाहू) | बहाल कर | ५२०।०० | |
| गो.भौ.न.मिती | व्यक्तिको नाम | करको प्रकार | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२/ २०७५।१।२५ | डम्मरा साउद | पारिश्रमिक कर | ५२६५।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२/ २०७५।१।२५ | डम्मरा साउद | बहाल कर | ९००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४/ २०७५।१।२७ | पवित्रा भण्डारी | पारिश्रमिक कर | ६३०।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११/ २०७५।१।२४ | लेग बा नेपाली(गाडी चालक) | बहाल कर | ३५०।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९/ २०७६।३।२६ | काशिराम बज्राई (गाडी शाहू) | बहाल कर | ५२०।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८. | स्पेशिफिकेसन :सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ मा सोभै खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । कार्यालयले औषधी लगायतका मालसामान सोभै खरिद गर्दा उक्त नियममा भएको व्यवस्थाको परिपालना गरेको पाइएन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीले तोके बमोजिम मालसामानको स्पेशिफिकेसन बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्ने, दररेट माग गर्दा लिखित रूपमा कम्तीमा तीनवटा आपूर्तिकर्ताबाट माग गर्ने, न्यूनतम कबोल गर्ने आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्ने र सामानको प्राप्तीपछी स्पेशिफिकेसन बमोजिम आए नआएको यकिन गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमाल भौचर नं ४, मिती २०७५।१।६ बापत उग्रतारा ट्रेडिङ हाउसलाई भुक्तान गरेकोले प्राविधिक मूल्यांकन बेगर खर्च लेखेकोले नियमको पालना नभएको रु.. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | २०२७९०.० | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------|-------------------------|-----|---|-------------------------------------|-----------|---|--------------------------|-----------|
| | संशर्त कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका पालना नभएको : | | | | | | | | | | |
| ३९. | भौचर नं १५१, मिती २०७६।शृङ् शिक्षण सिकाइमा ICT को प्रयोग (क्रियाकलाप नं २.१५.११.७९४) बमोजिम अनुदान प्रदान गर्ने स्थानीय तहले इन्टरनेट पहुँच भएको तथा नियमित विद्युतको आपूर्ति भएका विद्यालयहरुको विवरण तयार गरी ती विद्यालयबाट प्रस्ताव माग गरी प्रस्तावहरुको मूल्यांकनको आधारमा विद्यालय छनौट गर्नुपर्नेमा, त्यस्तो प्रस्ताव माग भएको पाइएन । यसर्थ संशर्त अनुदान रकमको खर्च निर्देशिका पालना गरि गर्नुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | |
| ४०. | भौचर नं १५१, मिती २०७६।शृङ्, निर्देशिकाको क्रियाकलाप नं २.१५.११.७९४ गणित,विज्ञान र अँग्रेजी विषयका लागी क्रियाकलापमा आधारित Kits अनुदान बापत प्राप्त रकम रु १५००००।००, नगरपालिकाले विगतमा यस प्रकारको अनुदान नपाएका आधारभूत तह (६-८) का लागि विद्यालयहरु एकिन गरि प्राप्त बजेटको परिधिभित्र रही तिन आधारभूत विद्यालयलाई रु ५००००।०० दरले अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा, कात्यायानी मा.बि लाई एकमुष्ठ अनुदान निकासा दिइएकाले निर्देशिकाले किटान गरेको आधारभन्दा फरक गरि निकासा गरेको नियमित गरिनुपर्ने रु | १५००००.०० | | | | | | | | | |
| ४१. | भौचर नं १७०, मिती २०७६।शृङ्२६, तोकिएको सूचकाङ्कका आधारमा कार्यसम्पादन सम्पन्न गर्ने विद्यालयलाई कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान (क्रियाकलाप नं २.१५.११.७९६) बापतको रकम निकासा गर्दा नगरपालिकाले विद्यालयहरुसँग प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने र सोको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रति विद्यालय रु ५००००।०० का दरले उपलब्ध गराउन पर्ने व्यवस्था छ । यस नगरपालिकालाई अनुदान प्राप्त रु २५००००।०० ५ वटा विद्यालयलाई रु ५००००।०० का दरले निकासा गर्नुपर्नेमा, विधाप्रवोधनी मा.बि, घोडासैनीलाई एकमुष्ठ रु २०००००।०० र कालिका आ.बि लाई रु ५००००।०० निकासा गरेको र सोको कुनै आधारसमेत पेश नभएकोले निर्देशिकामा उल्लिखित प्रावधान बेरार खर्च भएकोले निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | |
| ४२. | सामुदायिक सिकाई केन्द्र संचालन अनुदान (क्रियाकलाप नं २.१५.११.७७९) बापतको रकम निकासा दिँदा, सिकाई केन्द्रको व्यवस्थापन समितीले गरेको, सिफारिस स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा, हाजिरी प्रमाण प्राप्त भएपछि सामुदायिक परिचालकको पारिश्रमिक रकम उपलब्ध गराई बाँकी रकम केन्द्रको प्रस्तावका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा तपशिल सामुदायिक केन्द्रलाई कुनै पनि उल्लिखित प्रक्रिया पूरा नगरि रु २०००००।०० का दरले निकासा दिइएको रकम नियमित गरिनुपर्ने रु | ८०००००.० | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">सि.नं</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">सामुदायिक सिकाई केन्द्र</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">१</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">वाड्डी अछाम सामुदायिक सिकाई केन्द्र</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">२०००००।००</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">२</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">सामुदायिक अध्ययन केन्द्र</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">२०००००।००</td> </tr> </tbody> </table> | | | सि.नं | सामुदायिक सिकाई केन्द्र | रकम | १ | वाड्डी अछाम सामुदायिक सिकाई केन्द्र | २०००००।०० | २ | सामुदायिक अध्ययन केन्द्र | २०००००।०० |
| सि.नं | सामुदायिक सिकाई केन्द्र | रकम | | | | | | | | | |
| १ | वाड्डी अछाम सामुदायिक सिकाई केन्द्र | २०००००।०० | | | | | | | | | |
| २ | सामुदायिक अध्ययन केन्द्र | २०००००।०० | | | | | | | | | |

| | <table border="1"> <tr> <td>३</td><td>सिर्जनशिल सामुदायिक केन्द्र</td><td>२०००००१००</td><td></td></tr> <tr> <td>४</td><td>आदर्श सामुदायिक केन्द्र</td><td>२०००००१००</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td>८०००००१००</td><td></td></tr> </table> | ३ | सिर्जनशिल सामुदायिक केन्द्र | २०००००१०० | | ४ | आदर्श सामुदायिक केन्द्र | २०००००१०० | | | जम्मा | ८०००००१०० | | | | | |
|-------|--|-------------|-----------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-------|------------|-----------|
| ३ | सिर्जनशिल सामुदायिक केन्द्र | २०००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | आदर्श सामुदायिक केन्द्र | २०००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ८०००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३. | <p>कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बिना भुक्तानी : दुई कोठे नयाँ कक्षा कोठा सहित फर्निचर निर्माण (त्याब, लाइब्रेरी समेत), क्रियाकलाप नं द.२.३.३१.१०, बापत प्राप्त अनुदानको कुल रकम ८३२०००००१०० तपशिल बमोजिमका विद्यालयलाई १६०००००१०० दरले मिति २०७६।३।६ मा भुक्तानी भएकोमा सोको प्राविधिक मूल्याङ्कन एवम् कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नरहेकोले, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२५(२) बमोजिम, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश भई स्वीकृती पश्चातमात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेको साथै निर्देशिका बमेजिम उक्त रकम तीन किस्ता गरि पहिलो किस्तामा ३० प्रतिशत, दोश्रोमा Structural Part को कार्यसम्पन्न भएपश्चात ५० प्रतिशत र तेश्रो कार्य सम्पन्न गरे पश्चात नापी किताब भरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन समेत तयार गरि अन्तिम किस्ता २० प्रतिशत भुक्तान गर्नुपर्नेमा सो कुरा पनि नगरि एममुष्ट १०० प्रतिशत निकासा गरेकोले प्रमाणित कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं</th><th>विद्यालयको नाम</th><th>रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>शिशुबोधनी मा.बि, मूली</td><td>१६०००००१००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>पशुपति मा.बि, चाल्सा</td><td>१६०००००१००</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td>८३२००००१००</td></tr> </tbody> </table> | सि.नं | विद्यालयको नाम | रकम | १ | शिशुबोधनी मा.बि, मूली | १६०००००१०० | २ | पशुपति मा.बि, चाल्सा | १६०००००१०० | | जम्मा | ८३२००००१०० | ८३२००००.० | | | |
| सि.नं | विद्यालयको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | शिशुबोधनी मा.बि, मूली | १६०००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | पशुपति मा.बि, चाल्सा | १६०००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ८३२००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४४. | <p>कागजात पेश नभएको : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ बमोजिम उपभोक्ता समितीमार्फत निर्माण कार्य गराउँदा कार्यलयले लागत अनुमान स्वीकृत गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समितीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा, देहाय बमोजिमका योजनाहरूको लागत अनुमान र उपभोक्ता समितीसँग सम्झौताको कागजात पेश नभएकोले सम्झौता पेश हुनुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं</th><th>योजना</th><th>भुक्तान रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>गौरीटाँड चाल्सा सुनिपिल सडक</td><td>५५५१२५१००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>ढाँकु सरेन सडक मर्मत</td><td>५३२१७२१००</td></tr> <tr> <td>३</td><td>कमलबजार घोडेढुङ्गा ग्रामिण सडक</td><td>५९६७८७४४</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td>१६८४०८४१४०</td></tr> </tbody> </table> | सि.नं | योजना | भुक्तान रकम | १ | गौरीटाँड चाल्सा सुनिपिल सडक | ५५५१२५१०० | २ | ढाँकु सरेन सडक मर्मत | ५३२१७२१०० | ३ | कमलबजार घोडेढुङ्गा ग्रामिण सडक | ५९६७८७४४ | | जम्मा | १६८४०८४१४० | १६८४०८४.४ |
| सि.नं | योजना | भुक्तान रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | गौरीटाँड चाल्सा सुनिपिल सडक | ५५५१२५१०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | ढाँकु सरेन सडक मर्मत | ५३२१७२१०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | कमलबजार घोडेढुङ्गा ग्रामिण सडक | ५९६७८७४४ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | १६८४०८४१४० | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४५. | <p>लागत अनुमान बराबरकै कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको: सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ बमोजिम योजनाको लागत अनुमान तयार गरि उपभोक्ता समितीसँग सम्झौता गरि उपभोक्तले व्यहोर्नुपर्ने अंश समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ। सोही बमोजिम उपभोक्ता समितीले कार्यसम्पादन गरि सोको नाप जाँच कार्यालयले गरि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा भुक्तान गर्नुपर्दछ। निम्न बमोजिमको योजनाहरूको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा खुलाईएको कार्यसम्पादनको रकम र लागत अनुमानको रकम बराबर हुन आएकोले नाप जाँचका क्रममा प्राविधि त्रुटि भएको वा नियतवश सो व्यहोराको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरिएको छुट्याउन सकिने अवस्था रहेन, त्यसको उदाहरण</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>निम्नानुसार रहेका छन् :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>योजना</th><th>लागत अनुमान रकम रु</th><th>कार्यसम्पन्न रकम रु</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कमलबजार कोटिला भिरकोट सडक मर्मत</td><td>१७०४५६६५०</td><td>१७०४५६६५०</td></tr> <tr> <td>स्याउले ओडारखेत मंगलसेन ग्रामीण सडक</td><td>५९३८५८८२</td><td>५९३८५८८२</td></tr> </tbody> </table> | योजना | लागत अनुमान रकम रु | कार्यसम्पन्न रकम रु | कमलबजार कोटिला भिरकोट सडक मर्मत | १७०४५६६५० | १७०४५६६५० | स्याउले ओडारखेत मंगलसेन ग्रामीण सडक | ५९३८५८८२ | ५९३८५८८२ | |
|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|--|
| योजना | लागत अनुमान रकम रु | कार्यसम्पन्न रकम रु | | | | | | | | | |
| कमलबजार कोटिला भिरकोट सडक मर्मत | १७०४५६६५० | १७०४५६६५० | | | | | | | | | |
| स्याउले ओडारखेत मंगलसेन ग्रामीण सडक | ५९३८५८८२ | ५९३८५८८२ | | | | | | | | | |
| ४६. | <p>सामाजिक सुरक्षा अनुदान : सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि यस कार्यालयलाई रु.५ करोड ९५ लाख ४ हजार बजेट विनियोजन भईरु.५ करोड ९५ लाख ४ हजार निकासा भई खर्च रु.५ करोड ७४ लाख ९६ हजार २ सय गरि बाँकी रु.२,०७,८००।- संघीय संचित कोषमा फिर्ता गरेको प्रमाण पेश भएको छ। स्वीकृत इकाइगत लेखापरीक्षण योजना अनुसार बढी निकासा एवं खर्च भएका पहिलो (५ नं. वडा) र पाँचौ (४ नं.) वडाको भरपाई परिक्षण गरिएको र अन्य वडाको सामाजिक सुरक्षा खर्चको हकमा पेशकी खर्च, बैंक दाखिला रकम र वित्तिय सूचना प्रणाली (MIS)र मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणलाई मात्र भिडान गरी परिक्षण गरिएको छ। पेशकी फाँटवारी परिक्षण गर्दा देखिएका व्यहोराहरु देहाय अनुसार छन् :</p> | | | | | | | | | | |
| ४६.९ | <ul style="list-style-type: none"> ● सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७२ को दफा २२ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम नगरपालिकामा बैंक मार्फत गरिने गाउँपालिकमा बैंकिङ सुविधा भए बैंक मार्फत भत्ता वितरण गरिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। यस वर्ष नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित वडाका सचिवलाई पेशकी दिई भरपाईका आधारमा नगद वितरण गरेको देखिएकोले वितरण प्रणाली भरपर्दो र विश्वसनिय बनाउन बैंकिङ प्रणाली भएका क्षेत्रमा बैंक मार्फत वितरण गर्नुपर्दछ। ● सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ को दफा ९ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको फोटो सहित अनुसूचि ५ बमोजिमको मूल अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ। सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्तिको नामनामेसी, नागरिकता नं., परिचय पत्र नं., फोटो आदि विवरण अद्यावधिक राखि मूल अभिलेख खाता व्यवस्थित गरी सोहि प्रमाणका आधारमा वित्तिय सूचना प्रणाली (MIS) मा डाटा अपलोड गर्दै दोहोरो नपर्ने गरी अभिलेख भिडान हुने गरी राख्नु पर्दछ। तर कार्यालयले मूल अभिलेख खाता वडा कार्यालयमा रहेको जनाई लेखापरीक्षणका लागि पेश नगरेको, अन्य विषयका हकमा उमेर पुरा भएपछिवा भत्ता पाउने भएपछि अभिलेखमा फोटो तथा ल्याच्चे नलगाई सोभै सफ्टवेयर इन्ट्री गरेको, सम्बन्धित वडाबाट नामनामेसी सहित अभिलेख व्यवस्थित गरी सिफारिस सहित कागजात प्राप्त भएपछि MIS मा प्रविष्ट गर्नुपर्नेमा सोभै गर्ने गरेको, अनुसूची द मा थप भएका र हराएका व्यक्तिको विवरण भरि प्राप्त | | | | | | | | | | |

| | <p>नभएको केही नामनामेसी सफ्टवेयरबाट सोमै हटाउने र थप्ने कार्य भएको, वित्तिय सूचना प्रणालीमा सामान्य कुरा फरक भएमा समेत भिडान भई नामनामेसी प्रविष्ट गरेको, एउटै नागरिकता नं. भएकाको समेत MIS मा प्रविष्ट भएबाट वित्तिय सूचना प्रणाली भरपर्दो र विश्वसनिय नभएकाले सम्बन्धित निकायले सो प्रणालीमा भत्ता पाउनेको नामनामेसी दोहोरो नपर्ने गरी System बाट नियन्त्रण हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।</p> <p>कार्यालयले वडा कार्यालय अनुगमन गरी भत्ता पाउने/नपाउने अभिलेख यकिन नगरेको, पञ्जिकरण अभिलेख (जन्म, मृत्यु बसाई सराई) व्यवस्थित अभिलेख नभएको, मन्त्रालय/पंजिकरण विभागमा अनुसूची द (क) नपठाएको र अभिलेख समेत पेश नगरेबाट भिडान गर्न सकिएन ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------------|----------|--------|---|-------|--------------------------------|---|-------|------------------------------|---|-------|------------------------------|---|-------|------------------------------|---|-------|------------------------------|
| | आन्तरिक आय | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४७. | <p>आन्तरिक आय : आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ४ दफा १२ र १३ ले राजस्वको अभिलेख अध्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १०(१) बमोजिम कारोबारको लेखा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढांचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १३(१) बमोजिम आफ्नो जिम्मा भएको सरकारी नगदीको हकमा सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस वर्ष कार्यालय र अन्तर्गतका वडा कार्यालयबाट मालपोत, सिफारिस, पञ्जिकरण, लगायतका शीर्षकमा आन्तरिक आम्दानी गरेकोनगदी रसिदनियन्त्रण खाता राखेको देखिएन । म.ले.प. फा नं.१०८, १०८(क) समेतको लेखा नराखेबाट असूली भएको रकम दाखिला भएको यकिन गर्ने अवस्था रहेन । नगदी रसिद नियन्त्रण खाता, नगदी रसिद र वैक दाखिला रकम भिडान हुने गरी लेखा नराखेका कारण असुल भएको रकम हिनामिना समेत हुने संभावना देखिएकोले आन्तरिक नियन्त्रण हुने गरी तोकिए बमोजिमका राजस्वको लेखा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | राजश्व परिक्षण गर्दा देखिएका व्यहोराहरु देहाय अनुसार छन् : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४८. | <p>नगरपालीकाले यसवर्ष नगदी रसिद तर्फ ९५ र मालपोत तर्फ १३ ठेली वितरण गरी राजश्व संकलन गरेको छ । यसरी वितरण गरिएका राजश्वका ठेलीहरु स्टोर दाखिला भई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्टोर दाखिला नभई वितरण नगरिएकोले राजश्व बाट प्राप्त रकम समेत एकिन गर्न सकिने अवस्था देखिएन । केही राजश्व ठेलीको कैफियत अवस्था देहाय बमोजिम छ :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वडा नं.</th> <th>रसिद नं.</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>१-१००</td> <td>एकै नम्बरका २ वटा ठेली वितरण .</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>१-१००</td> <td>एकै नम्बरका २ वटा ठेली वितरण</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>१-१००</td> <td>एकै नम्बरका २ वटा ठेली वितरण</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>१-१००</td> <td>एकै नम्बरका ३ वटा ठेली वितरण</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>१-१००</td> <td>एकै नम्बरका ४ वटा ठेली वितरण</td> </tr> </tbody> </table> <p>यसरी एकै सिरियल नम्बरका दुई वा सोभन्दा बढी राजश्वका ठेलीहरु जारी हुँदा राजश्वको हिनामिना</p> | वडा नं. | रसिद नं. | कैफियत | १ | १-१०० | एकै नम्बरका २ वटा ठेली वितरण . | ३ | १-१०० | एकै नम्बरका २ वटा ठेली वितरण | ५ | १-१०० | एकै नम्बरका २ वटा ठेली वितरण | ६ | १-१०० | एकै नम्बरका ३ वटा ठेली वितरण | ७ | १-१०० | एकै नम्बरका ४ वटा ठेली वितरण |
| वडा नं. | रसिद नं. | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | १-१०० | एकै नम्बरका २ वटा ठेली वितरण . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | १-१०० | एकै नम्बरका २ वटा ठेली वितरण | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | १-१०० | एकै नम्बरका २ वटा ठेली वितरण | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | १-१०० | एकै नम्बरका ३ वटा ठेली वितरण | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | १-१०० | एकै नम्बरका ४ वटा ठेली वितरण | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | हुनसक्ने अवस्थामा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------------------------------|-----|--------|---|-------------|-----------|-------------|---|-----------|------|-----------------------------------|--|
| ४९. | नगरपालीका बाट वितरण भएका निम्न राजश्व ठेलीहरु लेखापरिक्षणको क्रममा प्राप्त नभएकोले उक्त ठेलिबाट सोबापत प्राप्त भएको रकम एकिन गर्न सकिएन, तसर्थ ठेलि प्राप्त गरी रुजु गरि रकम यकिन गर्नुपर्ने रु | १४६५०.०० | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>बडा नं.</th><th>ठेली नं.</th><th>रकम</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३</td><td>१ (३०१-४००)</td><td>१४,६५०.००</td><td>मालपोत ठेली</td></tr> <tr> <td>७</td><td>१ (१-१००)</td><td>०.००</td><td>दिपक भण्डारीले बुझेको राजश्व ठेली</td></tr> </tbody> </table> | बडा नं. | ठेली नं. | रकम | कैफियत | ३ | १ (३०१-४००) | १४,६५०.०० | मालपोत ठेली | ७ | १ (१-१००) | ०.०० | दिपक भण्डारीले बुझेको राजश्व ठेली | |
| बडा नं. | ठेली नं. | रकम | कैफियत | | | | | | | | | | | |
| ३ | १ (३०१-४००) | १४,६५०.०० | मालपोत ठेली | | | | | | | | | | | |
| ७ | १ (१-१००) | ०.०० | दिपक भण्डारीले बुझेको राजश्व ठेली | | | | | | | | | | | |
| ५०. | बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम : १५- २०७५१२२८ बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अन्तर्गत नगरस्तरीय खाद्य सुरक्षा समितीको वैठकमा नन्दराम चलाउने लाई रु.३८२५ र सरिता ढाललाई रु.२५५० गरी रु.५१०० वितरण भएकोमा उक्त रकमको भर्पाई लेखापरिक्षणको बखतमा पेश नभएकोले भर्पाई पेश गरि नियमित गरिनुपर्ने रु. | ५१००.०० | | | | | | | | | | | | |
| ५१. | तलवी प्रतिबेदन : निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोजिम स्थानीय तह अन्तर्गतका निजामती तथा स्वास्थ्य, शिक्षात्मका कर्मचारीहरुको वार्षिक तलवी प्रतिबेदन पारीत गराई मात्र तलब खर्च लेख्नुपर्नेमा कार्यालयले तलवी प्रतिबेदन पारित गराएको छैन । तसर्थ तलवी प्रतिबेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | |
| ५२. | अनुगमन खर्च सम्बन्धमा: कार्यालयले विभिन्न मितिमा विभिन्न कार्यक्रममा अनुगमन तथा मूल्याकांक्ष गरेको तथा कार्यक्रमको लागि भ्रमण गरेको भनी यो वर्ष कुल रु ३९२८९६५००. खर्च गरेको छ । कार्यालयले भ्रमणको अभिलेख तयार गरेको छैन । भ्रमण अभिलेख नहुदा कुन कर्मचारी तथा पदाधिकारीले के प्रयोजनको लागि कति समय अनुगमन तथा भ्रमण गरे भनी विश्लेषण गर्न सकिएन । अनुगमन तथा भ्रमण गर्दा भ्रमणको उद्देश्य तथा प्रयोजन प्रस्त खुलाउने गरेको छैन । दैनिक भ्रमण भत्ता बापत खर्च लेखिएकोमा कार्यक्रम भ्रमण पश्चात प्रतिबेदन तयार गरी कार्यालयमा पेश नगरिएको कारणले सम्बन्धीत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले सम्बन्धीत कार्यक्रमको प्रयोजनको लागि नै भ्रमण गरेको हो वा होइन भनी यकीन गर्न सकिएन । यसरी खर्च गर्ने परिपाटिमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | |
| ५३. | बैठक भत्ता : सुदूरपश्चिम प्रदेश बाट पारीत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्ध ऐन, २०७५ मा तोकिएको सुविधामात्र कार्यालयले पदाधिकारीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ । उक्त ऐनमा बैठक भत्ता सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएतापनि कार्यालयले यो वर्ष पदाधिकारी लगायतको बैठक भत्तामा कुल ४३,३५,०००/००भुक्तानी गरेको छ । पदाधिकारीलाई दिने सुविधा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको खर्च कानुन सम्मत नदेखिएको रु. | ४३३५०००.०० | | | | | | | | | | | | |
| ५४. | स्थानिय तहका पदाधिकारी सुविधा : नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा तथा नगरसभाका | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदले स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्ध ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पञ्चदेवल विनायक नगरपालीकाले देहायबमोजिम रु.११२६०२००/- सुविधा बापत भुक्तानी गरेको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th><th>विवरण</th><th>प्रमुख</th><th>उपप्रमुख</th><th>बडाअध्यक्ष १० जना</th><th>कार्यपालिका सदस्य ८ जना</th><th>सभाका सदस्य ३५ जना</th><th>जम्मा</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>पारिश्रमिक सुविधा</td><td>४२००००</td><td>३६००००</td><td>२६४००००</td><td>८६४०००</td><td>२५२००००</td><td></td></tr> <tr> <td>२</td><td>सञ्चार सुविधा</td><td>१९२००</td><td>१८०००</td><td>८४०००</td><td>०</td><td>०.००</td><td>१९२००</td></tr> <tr> <td>३</td><td>बैठक भत्ता</td><td>६९०००</td><td>६९०००</td><td>१२३००००</td><td>५५२०००</td><td>२४९५०००</td><td>४३३५०००</td></tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा</td><td>५०८२००</td><td>४४७०००</td><td>३९५४०००</td><td>१४१६०००</td><td>४९३५०००</td><td>१,१२,६०,२००.०</td></tr> </tbody> </table> | सि.नं. | विवरण | प्रमुख | उपप्रमुख | बडाअध्यक्ष १० जना | कार्यपालिका सदस्य ८ जना | सभाका सदस्य ३५ जना | जम्मा | १ | पारिश्रमिक सुविधा | ४२०००० | ३६०००० | २६४०००० | ८६४००० | २५२०००० | | २ | सञ्चार सुविधा | १९२०० | १८००० | ८४००० | ० | ०.०० | १९२०० | ३ | बैठक भत्ता | ६९००० | ६९००० | १२३०००० | ५५२००० | २४९५००० | ४३३५००० | जम्मा | | ५०८२०० | ४४७००० | ३९५४००० | १४१६००० | ४९३५००० | १,१२,६०,२००.० | |
|--------|---|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|----------|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------|----------------|--------------------------------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|---|------|-------|---|---------------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|-------|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------------|--|
| सि.नं. | विवरण | प्रमुख | उपप्रमुख | बडाअध्यक्ष १० जना | कार्यपालिका सदस्य ८ जना | सभाका सदस्य ३५ जना | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | पारिश्रमिक सुविधा | ४२०००० | ३६०००० | २६४०००० | ८६४००० | २५२०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सञ्चार सुविधा | १९२०० | १८००० | ८४००० | ० | ०.०० | १९२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | बैठक भत्ता | ६९००० | ६९००० | १२३०००० | ५५२००० | २४९५००० | ४३३५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ५०८२०० | ४४७००० | ३९५४००० | १४१६००० | ४९३५००० | १,१२,६०,२००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५५. | <p>सोभै खरिद : सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ मा सोभै खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । तर कार्यालयले कार्यालय सामान, औषधी लगायतका मालसामान सोभै खरिद गर्दा उक्त नियममा भएको व्यवस्थाको परिपालना गरेको पाइएन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीले तोके बमोजिम मालसामानको स्पेसिफिकिसेन बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्ने, दररेट माग गर्दा लिखित रूपमा कमितमा तीनवटा आपूर्तिकर्ताबाट माग गर्ने, न्यूनतम कबोल गर्ने आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्ने र सामानको प्राप्तीपछी स्पेसिफिकेसन बमोजिम आए नआएको यकिन गरेर मात्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो गरेको पाइएन । उल्लेखित कमजोरीमा सुधार हुनुपर्दछ । त्यस्ता खरिदका केही उदाहरण निम्न छन् :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th><th>गो.भौ.नं र मिति</th><th>फर्मको नाम</th><th>भुक्तानी रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>२३,०७५/०६/१६</td><td>न्यू केपी स्टोर एण्ड सप्लायर्स</td><td>१०१०२२.००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>२२,२०७५/०६/१६</td><td>न्यू केपी स्टोर एण्ड सप्लायर्स</td><td>१२०८०६.०</td></tr> <tr> <td>३</td><td>१५३,२०७५/१०/२९</td><td>न्यू केपी स्टोर एण्ड सप्लायर्स</td><td>१८५७००.००</td></tr> <tr> <td colspan="3">जम्मा</td><td>४०७५२८.००</td></tr> </tbody> </table> | सि.नं. | गो.भौ.नं र मिति | फर्मको नाम | भुक्तानी रकम | १ | २३,०७५/०६/१६ | न्यू केपी स्टोर एण्ड सप्लायर्स | १०१०२२.०० | २ | २२,२०७५/०६/१६ | न्यू केपी स्टोर एण्ड सप्लायर्स | १२०८०६.० | ३ | १५३,२०७५/१०/२९ | न्यू केपी स्टोर एण्ड सप्लायर्स | १८५७००.०० | जम्मा | | | ४०७५२८.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सि.नं. | गो.भौ.नं र मिति | फर्मको नाम | भुक्तानी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | २३,०७५/०६/१६ | न्यू केपी स्टोर एण्ड सप्लायर्स | १०१०२२.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | २२,२०७५/०६/१६ | न्यू केपी स्टोर एण्ड सप्लायर्स | १२०८०६.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | १५३,२०७५/१०/२९ | न्यू केपी स्टोर एण्ड सप्लायर्स | १८५७००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | ४०७५२८.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५६. | <p>दोहोरो तथा बढी भत्ता भुक्तानी : भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७ मा दोहोरा भ्रमण खर्च लेख्न नपाइने र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७३ को ७.१.१ मा कार्यालय समय भित्र कार्यालयका कर्मचारीहरु मात्र बैठक बसी बैठक खर्च लेख्न नपाइने उल्लेख छ । तर कार्यालयले नियम विपरित तपसिल बमोजिमको एउटै मितिको बैठक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा दोहोरो भ्रमण खर्च लेखेको पाइयो । त्यसैले प्रचलित कानूनी व्यवस्था विपरित हुने गरी भुक्तानी भएको तपसिल बमोजिमको रकम असूल गरी संघीय संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रकम रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th><th>भौ.नं. र मिति</th><th>विवरण</th><th>असूल हुनुपर्ने रकम</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>१६, २०७५/०६/२३</td><td>नगरपालिकाका बडा अध्यक्ष रामबहादुर शाह मिति</td><td>१०९५०.००</td><td>कार्यालयमै रही बैठक भत्ता बुझ</td></tr> </tbody> </table> | क्र.स. | भौ.नं. र मिति | विवरण | असूल हुनुपर्ने रकम | कैफियत | १ | १६, २०७५/०६/२३ | नगरपालिकाका बडा अध्यक्ष रामबहादुर शाह मिति | १०९५०.०० | कार्यालयमै रही बैठक भत्ता बुझ | २९,६५०.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र.स. | भौ.नं. र मिति | विवरण | असूल हुनुपर्ने रकम | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | १६, २०७५/०६/२३ | नगरपालिकाका बडा अध्यक्ष रामबहादुर शाह मिति | १०९५०.०० | कार्यालयमै रही बैठक भत्ता बुझ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|----------|------------------------|--|----------|
| | | मिति २०७५/०५/१९ देखि २५ सम्म सरकारी कामकाजले धनगढी गएको देखाइ सोही समयको भाद्र २२ गते मासिक बैठक वसेको देखाइ बैठक भत्ता बुझिलएको देखिएकोमा दोहोरो भत्ता असुल उपर गर्नुपर्ने | | काज भ्रमण देखाएका | | |
| २ | १३१, २०७५/१०/१५ | वडा नं. ०५ का वडाअध्यक्ष नन्दराज चलाउनेले २०७५/०५/०२ देखि ०८ सम्म भ्रमणभत्ता बुझिलएकोमा सोही अवधिको २०७५/०५/०३ वडा कार्यालयको बैठकबसी बैठकभत्ता समेत भुक्तानीलिएकोमा दोहोरो भत्ता असुल गर्नुपर्ने रु. | ९३५०.०० | दोहोरो भुक्तानी बुझेको | | |
| ३ | ९७, २०७५/०९/२६ | वडा नं. ०४ का वडाअध्यक्ष ललित ढोलीले २०७५/०६/१५ देखि २१ सम्म काज स्वीकृत गराइ दैनिक भ्रमण भत्ता रु९,३५० बुझिलएकोमा सोही अवधिको २०७५/०६/१६ वडा कार्यालयको बैठकबसी बैठकभत्ता समेत भुक्तानीलिएकोमा दोहोरो भत्ता असुल गर्नुपर्ने रु. | ९३५०.०० | दोहोरो भुक्तानी बुझेको | | |
| जम्मा | | | २९,६५०.० | | | |
| ५७. | औषधी खरिद : भौ.नं. ३१, २०७५/०९/२६ मा कार्यालयले कोटेशनको माध्यमद्वारा साहारा मेडिसिन डिप्ट्रिव्युटर्स बाट रु. १४,९२,८२३०० औषधी खरिद गरेकोमा वित्तीय समानीकरण शीर्षकको भौचर नं. ३४, मिति २०७५/०९/२७ मा सोही फर्मबाट एउटै प्रकृतिका औषधी सोभै खरिद गरी भुक्तानी दिएको थियो । शिलबन्दी दरभाउपत्र र सोभै खरिद हुँदाका ५ प्रकारका औषधी नमूना छनौट गरी दर भिडान गर्दा देहायअनुसारको फरक रहेको पाइयो । सोभै खरिद गरी बढी व्ययभार पारेकोले खर्च रकम नियमसँगत नदेखिएको रु | | | | | ५,६००.०० |
| ५८. | आमा सुरक्षा कार्यक्रम : कार्यालयले आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिका अन्तर्गत के कती महिला सुत्केरी भए भन्ने सम्बन्धमा एकिकृत तथ्याकं तयार गरेको पाइएन । गोश्वारा भौचरबाट भुक्तानी भएको तथ्याकं अनुसार प्रति सुत्केरी इकाइ मूल्य अनुदानबापत सामान्य शल्यक्रिया वापत प्रति सुत्केरी रु १००० का दरले र जटिल शल्यक्रियाको लागि प्रति सुत्केरी रु ३००० का दरले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कुल रु ७५९०००।०० रकम उपलब्ध गराएकोमा त्यस्तो रकम सम्बन्धित संस्थाको खातामा राखेको वा सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरूप वितरण गरेको प्रमाण पेश हुन आएन । तसर्थ निर्देशिकाले तोकेबमोजिम उक्त रकम वितरण गरे नगरेको सम्बन्धमा एकिन गर्नुपर्दछ । | | | | | |

| ५९. | <p>सुरक्षित मातृत्व :- आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका, २०६५ बमोजिम प्रसुति महिलाले प्रोटोकल अनुसार स्वास्थ्य जाँच (4ANC)गराएमा प्रति प्रसुति लाई रु.८०००- साधारण प्रसुति सेवा प्रदान गरेबापत स्वास्थ्य संस्थालाई प्रति प्रसुतिको अनुदान १००० र प्रसुति आमालाई यातायात खर्च बापत प्रति रु.२०००- भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । भौ.नं.१७३, मिती २०७६०३२६ मा तपसिलका स्वास्थ्यसंस्थालाई साधारण प्रसुति सेवा प्रदान गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्दाको बढी भुक्तानी रकम २७४००१०० असुल गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>स्वास्थ्य संस्था</th><th>प्रसुति सेवा प्रदान गरेको संख्या</th><th>भुक्तानी भएको संख्या</th><th>बढी भुक्तानी रकम</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>चाल्सा</td><td>२३</td><td>२१</td><td>६०००.००</td><td>यातायात र अनुदान</td></tr> <tr> <td>घोडासैन</td><td>१७</td><td>१६</td><td>३०००.००</td><td>"</td></tr> <tr> <td>मष्टामण्डाली</td><td>२२</td><td>२१</td><td>३०००.००</td><td>"</td></tr> <tr> <td>वीरपथ</td><td>१२</td><td>०९</td><td>९०००</td><td>"</td></tr> <tr> <td>मुली</td><td>५</td><td>५</td><td>८००</td><td>ANC चेकअप</td></tr> <tr> <td>मष्टामण्डाली</td><td>२२</td><td>२१</td><td>८००</td><td>"</td></tr> <tr> <td>ढांकु</td><td>९</td><td>६</td><td>२४००</td><td>"</td></tr> <tr> <td>वीरपथ</td><td>१२</td><td>९</td><td>२४००</td><td>"</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td></td><td>२७४००.००</td><td></td></tr> </tbody> </table> | स्वास्थ्य संस्था | प्रसुति सेवा प्रदान गरेको संख्या | भुक्तानी भएको संख्या | बढी भुक्तानी रकम | कैफियत | चाल्सा | २३ | २१ | ६०००.०० | यातायात र अनुदान | घोडासैन | १७ | १६ | ३०००.०० | " | मष्टामण्डाली | २२ | २१ | ३०००.०० | " | वीरपथ | १२ | ०९ | ९००० | " | मुली | ५ | ५ | ८०० | ANC चेकअप | मष्टामण्डाली | २२ | २१ | ८०० | " | ढांकु | ९ | ६ | २४०० | " | वीरपथ | १२ | ९ | २४०० | " | | जम्मा | | २७४००.०० | | २७,४००.०० |
|------------------|--|----------------------|---|----------------------|------------------|--------|---------------------|----------|----|---------|----------------------|----------|---|----|---------|----------|--------------|-----------|----|---------|---|-------|----|----|------|---|------|---|---|-----|-----------|--------------|----|----|-----|---|-------|---|---|------|---|-------|----|---|------|---|--|-------|--|----------|--|-----------|
| स्वास्थ्य संस्था | प्रसुति सेवा प्रदान गरेको संख्या | भुक्तानी भएको संख्या | बढी भुक्तानी रकम | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| चाल्सा | २३ | २१ | ६०००.०० | यातायात र अनुदान | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| घोडासैन | १७ | १६ | ३०००.०० | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मष्टामण्डाली | २२ | २१ | ३०००.०० | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वीरपथ | १२ | ०९ | ९००० | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मुली | ५ | ५ | ८०० | ANC चेकअप | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मष्टामण्डाली | २२ | २१ | ८०० | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ढांकु | ९ | ६ | २४०० | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वीरपथ | १२ | ९ | २४०० | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | २७४००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०. | <p>बढी भुक्तानी:-आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(८) बमोजिम कुनै रकमको भुक्तानी दिदा रीत पूर्गे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गो.भौ.न.-१०/०७४-१०-९ बाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कमलबजार लाई साधारण प्रसुति सेवा प्रदान गरे बापत प्रति प्रसुतीको अनुदान र ४२ जना प्रसुति आमालाई यातायात शुल्क समेत गरी रु. ८४०००- दिनुपर्नेमा रु.९००००-अनुदान बापत वैंक खातामा जम्मा गरिएको हुँदा बढी जम्मा गरेको रु.६०००- असुल गरी संघिय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु</p> | ६,०००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६१. | <p>बढी तलबभत्ता भुक्तानी : नगरपालिकामा कार्यरत स्टाफ नर्स रीना जोशी र हेल्प असिस्टेन्ट अरुण कुमार शाहले पालिकबाट सरुवा भइ रमाना लिइसकेपश्चात २०७५ कार्तिक र मंसिर महिनाको तलबभत्ता भुक्तानी भएकोमा बढी तलबभत्ता असुल गर्नुपर्ने रु</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>कर्मचारीको नाम र पद</th><th>बढी भुक्तानी रकम</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>हे.अ. अरुणकुमार शाह</td><td>७२६८७.००</td><td></td></tr> <tr> <td>२</td><td>स्टाफ नर्स रीना जोशी</td><td>९२२९९.००</td><td>संचयकोष र वीमा रकम मात्र बांकी दाखिला भइसकेको</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td>८४९०६.००</td><td></td></tr> </tbody> </table> | क्र.सं. | कर्मचारीको नाम र पद | बढी भुक्तानी रकम | कैफियत | १ | हे.अ. अरुणकुमार शाह | ७२६८७.०० | | २ | स्टाफ नर्स रीना जोशी | ९२२९९.०० | संचयकोष र वीमा रकम मात्र बांकी दाखिला भइसकेको | | जम्मा | ८४९०६.०० | | ८४,९०६.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | कर्मचारीको नाम र पद | बढी भुक्तानी रकम | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | हे.अ. अरुणकुमार शाह | ७२६८७.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | स्टाफ नर्स रीना जोशी | ९२२९९.०० | संचयकोष र वीमा रकम मात्र बांकी दाखिला भइसकेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ८४९०६.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६२. | <p>दोहारो भत्ता : भौ.नं. ३३, २०७५०१२७ हेल्प असिस्टेन्ट सरिताकुमारी दुवालले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछाममा क्षयरोग औषधी दुवानी गर्न गएको भनी दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी लिएकोमा सोही अवधिमा २०७५०१८२९ मा क्षयरोग कुष्ठरोग कार्यक्रम संचालन गरी प्रतिवेदनबापतको रकम</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | भुक्तानी लिएकोमा दोहारो र बढी भुक्तानी ५५८० असुल गर्नुपर्ने रु. | ५,५८०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------|-----------|-------|---------------------------|---------------------------------|----------|--------|--|---------------------------------|-----------|--------|---------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|--|------------|--|------------|
| ६३. | <p>पेशकी बांकी : आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ७४ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम दिएका पेशकीहरु नियमअनुसार फछ्यौट गर्नु पर्दछानिम्नबमोजिमका पदाधिकारी, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेशकी आर्थिक वर्षको अन्तसम्म फछ्यौट नगरेकोले नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>पेशकी लिनेको नाम</th><th>प्रायोजन</th><th>पेशकी रकम</th><th>म्याद</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>श्रोत व्यक्ति ऋषिकेश ढकाल</td><td>अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम वापत</td><td>६००००.००</td><td>नाघेको</td></tr> <tr> <td>कार्यक्रम अधिकृत रेडक्रस खेमप्रसाद भट्टराई</td><td>विपत् जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम</td><td>५५०९५०.००</td><td>नाघेको</td></tr> <tr> <td>सब इन्जिनियर शमशेर कार्की</td><td>बिमा तथा नविकरण खर्च</td><td>३०००००.००</td><td>नाघेको</td></tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा</td><td>१०१०९५०.००</td><td></td></tr> </tbody> </table> | पेशकी लिनेको नाम | प्रायोजन | पेशकी रकम | म्याद | श्रोत व्यक्ति ऋषिकेश ढकाल | अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम वापत | ६००००.०० | नाघेको | कार्यक्रम अधिकृत रेडक्रस खेमप्रसाद भट्टराई | विपत् जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम | ५५०९५०.०० | नाघेको | सब इन्जिनियर शमशेर कार्की | बिमा तथा नविकरण खर्च | ३०००००.०० | नाघेको | जम्मा | | १०१०९५०.०० | | ९,१०,९५०.० |
| पेशकी लिनेको नाम | प्रायोजन | पेशकी रकम | म्याद | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| श्रोत व्यक्ति ऋषिकेश ढकाल | अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम वापत | ६००००.०० | नाघेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कार्यक्रम अधिकृत रेडक्रस खेमप्रसाद भट्टराई | विपत् जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम | ५५०९५०.०० | नाघेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सब इन्जिनियर शमशेर कार्की | बिमा तथा नविकरण खर्च | ३०००००.०० | नाघेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | १०१०९५०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | आन्तरिक लेखा परिक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरु देहाय अनुसार कायम गरिएको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६४. | <p>युनिसेफ तर्फ : गो.भौ.नं । २०७६।३।२६ कार्यक्रम संचालनका लागी कार्यक्रम अधिकृत श्री खेमप्रसाद भट्टराईले बालबालिका केन्द्रित विपद जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम संचालनका लागी लिएको पेशकी रु २००००० को सामान खरिद गरेको विलको आधारमा फछ्यौट भएको देखिन्छ । कुनै पनि मालसामान खरिद गर्नुभन्दा अघि स्वीकृत माग फारम खरिद आदेश गरि मालसामान खरिद गरी ल्याएमा जिन्सी दाखिला गरि खर्च लेख्नु पर्नेमा नगरपालिकाले उक्त विधी प्रक्रिया पुरा नगरि खरिद गरेको रकम रु २०००००।०० नियमित गर्ने र बिल बमोजिमको रकम मा १.५ प्रतिशत कर कट्टी नगरेको रकम रु ३००।०० असुल गरि दाखिला गर्नुपर्ने रु</p> | २,००,०००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६५. | गो.भौ.नं ६६३, बाट बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम नगरपालिका समानिकरण श्रोतबाट रकम रु १११५।४००।०० भुक्तानी लिँदा कर दाखिला नगरेकोले सम्बन्धित व्यक्तिबाट दाखिला गराउनु पर्ने रकम रु | ८४८.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६६. | गो.भौ.नं २८, मिती २०७६।३।२६ मा भानुभक्त ढकालले ४ थान फिल्टर रु ६३०।५०।०० भुक्तानी लिएकोमा उक्त फिल्टर कार्यालयमा दाखिला नभएको तथा वितरण गरेको भर्पाई पेश नगरेकोले कार्यालयमा दाखिला तथा हस्तान्तरण गरेको भए रितपूर्वक हस्तान्तरण फारम पेश हुनुपर्ने रु | ६३,०५०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६७. | गो.भौ.नं, मिती २०७६।३।२८ मा वडा नं ५ को पुर्ण सरसफाई तथा भैपरी कोष शिर्षकबाट डम फिल्टर खरिदको रु १०४५।००।०० बिल संलग्न रहेकोमा दाखिला भरपाइ पेश नभएकोले जिन्सी खातामा दाखिला गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु | १,०४,५००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६८. | गो.भौ.नं ५०१ बाट मिती २०७६।३।२८ मा रुपवहादुर वि.क को पेशकी फछ्यौट गर्दा कर कट्टी | ३,४८।७.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|------------|
| | नदेखिएकोले सम्बन्धितबाट असुल उपर गरी कर दाखिला गर्नु पर्ने रकम रु | |
| ६९. | मिती २०७६।३।२६ मा बागेश्वरी मा.वि लाई ३ कोठे भवन निर्माण कार्यको बिल भुक्तानी दिँदा उपभोक्ता समितीले कमलबजार नगरपालिका वार्ड नं १० बस्ते रवि रावत मार्फत रु १००००।०० प्रति ट्रिलिको दरले १२ ट्रिली बालुवा ढुवानी गरी कुल रु १२०००।०० बुझि लिएकोमा सो वापत १० प्रतिशत बहाल कर रु १२००।०० कर कटौटी गरी दाखिला नगरेकोले बागेश्वरी मा.वि ३ कोठे भवन निर्माण उपभोक्ता समितीबाट असुल उपर गरी दाखिला गर्नु पर्ने रु | १२,०००.० |
| ७०. | भौ.नं मिती २०७५।१।१०७ मा भानुभक्त ढकाललाई विद्युत सामग्री ढुवानी वापत रु२४००।०० भुक्तानी दिएकोमा ढुवानी कर कटौटी नभएकोले निज भानुभक्त ढकालबाट बहाल कर बापतको रकम रु २४०० असुल उपर गरी राजश्व दाखिला गर्नुपर्ने रु | २,४००.० |
| ७१. | भौ.नं मिती २०७५।१।११० ठाडागाडा वडा कार्यालय ग्रामिल ढाँकु सेरा सडक मर्मत उपभोक्ता समितीलाई ४५६००।०० भुक्तानीमा रु६४००।०० बराबरको बिलमा बहाल कर कटौटी गरी दाखिला नगरेकोले सम्बन्धित उपभोक्ता समितीबाट बहाल कर बापतको रु ६४००।०० असुल उपर गरी राजश्व दाखिला गर्नुपर्ने रु | ६,४००.० |
| ७२. | मिती २०७६।३।३० मा कमलबजार मुली बेलखेत सडक निर्माण मर्मत गर्ने कार्यको कोटेशन मार्फत लागत अनुमान मु.अ.कर सहित ४८९७५।६।२० कायम भएकोमा सौरभ निर्माण सेवा मंगलसेन, क्षितिज कन्स्ट्रक्शन र हरिगंगा निर्माण सेवा अछाम लगायतले कोटेशन पेश गरेकोमा हरिगंगा निर्माण सेवा अछामलाई कार्यदेश दिएकोमा निज निर्माण सेवालाई रकम रु ४८६६।३।०० भुक्तानी दिएको देखिन्छ, हरिगंगा निर्माण सेवा अछामसँग भएको खरिद सम्भौता पेश हुन नआएकोले खरिद सम्भौता पेश गरी नियमित गर्नुपर्ने रकम रु | ४,८६,६९३.० |
| ७३. | गो.भौ.नं मिती २०७५।१।११७ वि.पि स्मृति भवन निर्माण उ.स लाई गाडी भाडा वापत रकम रु ३२००।०० भुक्तानी दिइएकोमा रु ३२००।०० बराबरको बहाल कर कटौटी गरी दाखिला नगरेकोले सम्बन्धित उपभोक्ता समितीबाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु | ३,२००.० |
| ७४. | भौ.नं, मिती २०७६।३।२४ मा भाडेखेत सिचाई निर्माण उ.स लाई गाडी भाडा वापत रकम रु १५००।०० भुक्तानीमा रु १५००।०० बराबरको बहाल कर कटौटी गरी दाखिला नगरेकोले सम्बन्धित उपभोक्ता समितीबाट सो रकम असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु | १,५००.० |
| ७५. | भौ.नं २७८ मिती २०७६।३।३१ मा प्राविधिक कर्मचारीलाई योजना अनुगमन मूल्यांकन खर्चको बिल भुक्तानी दिँदा अशिष्टेन्ट सब ईन्जिनियर विशाल विष्टलाई मिती २०७६।३।२२ देखि २०७६।३।२९ गते घोडासैन जाँदा फर्कदा दिएको रु ८२५।०० दोहोरो भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी भएको रकम रु ८२५।०० असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु | ८,२५८.० |

| ७६. | सुविधा बेगरको खर्चः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानिय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी बनेको ऐनमा उल्लेख नभएको बैठक खर्चको सुविधा कार्यपालिकाको तथा बैठक भत्ता कार्यालयले भुक्तानी गरेकोने नियमसंगत देखिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|----------------|------------|-----------------------------|----------------|---------|----|---|-----------|---------|----|--|--------|---------|------|---|-------|
| ७७. | आर्थिक सहायता : कार्यालयले विपद व्यवस्थापन, अन्य सामाजिक सहायता तथा विविध शिर्षक अन्तर्गत आर्थिक सहायता विगरण गरेको देखियो । यसरी कानुन पारित नगरि आधार बेगर कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा आर्थिक सहायता/पुरस्कार/विपद जोखिम खर्च भुक्तानी दिँदा एकरूपता नहुने देखिएकोले यस्ता आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कानुन पारित गरि मापदण्ड बनाई सिमा तोकी खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७८. | समपुरक अनुदान : समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को दफा ६(१) अनुसार ... "आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागतको अधिकतम ४० प्रतिशत रकम समपुरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेकोमा नगरपालिकाले विभिन्न ६ वटा योजनामा ठेक्का सम्झौता गरी असार मसान्त सम्ममा रु १४८०००००१०० भुक्तानी दिएको देखिन्छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको भुक्तानी अंकको ४० प्रतिशत हुन आउने रकम रु ५९२०००१०० मात्र खर्च लेखी बाँकी ६० प्रतिशत रु ८८८०००१०० नगरपालिकाको श्रोतबाट खर्च लेख्नु पर्नेमा सो रकम समेत समपुरक अनुदानबाट खर्च लेखेको छ । यसरी अनुपातभन्दा बढी खर्च लेखेको नियमित गर्नु पर्ने रु | ८८,८०,०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७९. | निजी श्रोतको शिक्षकहरूको पारिश्रमिक : नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका विद्यालयहरूलाई निजी श्रोत शिक्षकहरूको पारिश्रमिकको लागि बजेट व्यवस्थापन गरी विद्यालय खातामा निकासा दिने गरेको छ । विद्यालयको शिक्षक विद्यार्थी आधारमा दरबन्दी मिलान पश्चात्त थप शिक्षक संख्या यकिन गरि र निश्चित कार्यविधि बनाई विद्यालयमा नियुक्त भएका शिक्षकहरूको योग्यता तथा अध्यापन अनुमति पत्र भए नभएको एकिन गरि मात्र अनुदान निकासा दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८०. | समपरिक्षण सम्बन्धी व्यहोरा : कार्यालयले बेरुजु फ्लाइट गरि समपरिक्षणको लागी अनुरोध गरे अनुसार देहायबमोजिम बेरुजु सम्परिक्षण गरिएको छ । | <table border="1"> <thead> <tr> <th>आ.व</th><th>बेरुजु दफा</th><th>सम्परिक्षणको छोटकरी व्यहोरा</th><th>सम्परिक्षण रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२०७४।७५</td><td>२८</td><td>सशर्त अनुदान रकम फिर्ता गरि बेरुजु खातामा दाखिला प्रमाण पेश भएको आधारमा ।</td><td>८९००७३।३०</td></tr> <tr> <td>२०७४।७५</td><td>३३</td><td>असुल गरि दाखिला प्रमाण पेश भएको आधारमा ।</td><td>८६०।००</td></tr> <tr> <td>२०७४।७५</td><td>५५.१</td><td>डा. अमृत खरेल र ल्याब असिस्टेन्ट पबन कुमार वलीले दाखिला गरेको प्रमाणको आधारमा ।</td><td>३१।००</td></tr> </tbody> </table> | आ.व | बेरुजु दफा | सम्परिक्षणको छोटकरी व्यहोरा | सम्परिक्षण रकम | २०७४।७५ | २८ | सशर्त अनुदान रकम फिर्ता गरि बेरुजु खातामा दाखिला प्रमाण पेश भएको आधारमा । | ८९००७३।३० | २०७४।७५ | ३३ | असुल गरि दाखिला प्रमाण पेश भएको आधारमा । | ८६०।०० | २०७४।७५ | ५५.१ | डा. अमृत खरेल र ल्याब असिस्टेन्ट पबन कुमार वलीले दाखिला गरेको प्रमाणको आधारमा । | ३१।०० |
| आ.व | बेरुजु दफा | सम्परिक्षणको छोटकरी व्यहोरा | सम्परिक्षण रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०७४।७५ | २८ | सशर्त अनुदान रकम फिर्ता गरि बेरुजु खातामा दाखिला प्रमाण पेश भएको आधारमा । | ८९००७३।३० | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०७४।७५ | ३३ | असुल गरि दाखिला प्रमाण पेश भएको आधारमा । | ८६०।०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०७४।७५ | ५५.१ | डा. अमृत खरेल र ल्याब असिस्टेन्ट पबन कुमार वलीले दाखिला गरेको प्रमाणको आधारमा । | ३१।०० | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|----------|---|--|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|--|
| | २०७४।७५ | ५० | असुल गरि दाखिला प्रमाण पेश भएको आधारमा । | १२९४५।०० | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ९,९४,७२८।३ | | | | | | | | |
| ८१. अनुगमन परिक्षण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजु फछ्यौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२) (घ) बमोजिम वेरुजु फछ्याट गर्ने, गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । कार्यालयले वेरुजु फछ्यौट गरी सम्परीक्षणको लागि पेश गरेको बेरुजु सम्परीक्षण गरि निम्नानुसार कायम भएको छ । | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>गत वर्षको बेरुजु रकम (रु.) (A)</td> <td>यो वर्ष फछ्यौट (B)</td> <td>बाँकी (C=A-B)</td> </tr> <tr> <td>९,५१,८१,०००/००</td> <td>९,९४,७२८।३</td> <td>१,४२,६६,२७।७</td> </tr> </table> | | | | | गत वर्षको बेरुजु रकम (रु.) (A) | यो वर्ष फछ्यौट (B) | बाँकी (C=A-B) | ९,५१,८१,०००/०० | ९,९४,७२८।३ | १,४२,६६,२७।७ | | | |
| गत वर्षको बेरुजु रकम (रु.) (A) | यो वर्ष फछ्यौट (B) | बाँकी (C=A-B) | | | | | | | | | | | |
| ९,५१,८१,०००/०० | ९,९४,७२८।३ | १,४२,६६,२७।७ | | | | | | | | | | | |
| ८२. अद्यावधिक बेरुजु स्थिति : कमलबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी बेरुजु स्थिति देहाय अनुसार रहेको छ : | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी (रु.) ©</td> <td>यो वर्षको सं प.वाट कायम बेरुजु रु. (D)</td> <td>यो वर्षको कायम बेरुजु रु. (E)</td> <td>बाँकी (F=C+D+E)</td> </tr> <tr> <td>१४२६६२७।७०</td> <td>०</td> <td>३६२४०५८।८९</td> <td>५०५०६८५५।५९</td> </tr> </table> | | | | | गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी (रु.) © | यो वर्षको सं प.वाट कायम बेरुजु रु. (D) | यो वर्षको कायम बेरुजु रु. (E) | बाँकी (F=C+D+E) | १४२६६२७।७० | ० | ३६२४०५८।८९ | ५०५०६८५५।५९ | |
| गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी (रु.) © | यो वर्षको सं प.वाट कायम बेरुजु रु. (D) | यो वर्षको कायम बेरुजु रु. (E) | बाँकी (F=C+D+E) | | | | | | | | | | |
| १४२६६२७।७० | ० | ३६२४०५८।८९ | ५०५०६८५५।५९ | | | | | | | | | | |

अनुसूची-१

कमलबजार नगरपालिकाको (विनियोजन, राजश्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

स्थानीय संचितकोषको विवरण

२०७५/७६

(रु. हजारमा)

| स्थानीयतहको नाम | जिल्ला | आय | | | | जम्मा आय | व्यय | | | जम्मा खर्च | मौजदात बाँकी |
|-------------------|--------|---------------------|-----------------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | गतवर्षको जिम्मेवारी | समानीकरण अनुदान | सशर्त तथा अन्य बजेट अनुदान | अन्य आय | | चालु खर्च | पूँजीगत खर्च | अन्य खर्च | | |
| | | १ | २ | ३ | ४ | | ५(२+३+४) | ६ | ७ | ८ | |
| कमलबजार नगरपालिका | अछाम | ३७९६४ | ९०५७२ | १८१८६८ | १८६१२८ | ४५८५६८ | ३११२९५ | ९६९७७० | ६५७ | ४८१६४२ | ९४०९० |

अनुसूची-२

बेरुजु वर्गीकरण

२०७५/७६

(रु. हजारमा)

| स्थानीयतहको नाम | जिल्ला | प्रारम्भिक बेरुजु | | प्रतिक्रियावाट फछ्यौट | | बाँकी बेरुजु | | बाँकी बेरुजु | | | | | | कर्मचारी | अन्य | जम्मा | | | |
|-------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|---------------|--------------|------|---------------|------|-------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------|-----|---|-----|
| | | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | असूल गर्नुपर्ने अनियमित भएको | प्रमाण कागजात चेश नभएको | राजश्व लगत जिम्मेवारी | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | | | | |
| | | सैद्धान्ति क | लगती | | सैद्धान्ति तक | लगती | | सैद्धान्ति तक | लगती | | | | | | | | | | |
| कमलबजार नगरपालिका | अछाम | ४२ | ४१ | ३८१९० | ० | १ | १९५० | ४२ | ४० | ३८२४० | ४७६३ | २५१०७ | ५४६० | ० | ० | ३०५६७ | ९१० | ० | ९१० |

अनुसूची-३

बेरुजुको अद्यावधिक स्थिति

(रु. हजारमा)

| स्थानीयतहको नाम | जिल्ला | गत वर्षसम्मको बाँकी | यो वर्षको फछ्यौट | बाँकी | यो वर्ष सं.प. वाट कायम भएको बेरुजु | यो वर्षको बेरुजु | कूल बाँकी बेरुजु |
|-------------------|--------|---------------------|------------------|-------|------------------------------------|------------------|------------------|
| कमलबजार नगरपालिका | अछाम | १५१८१ | ९१४ | १४२६६ | ० | ३८२४० | ५०५०६ |